



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

www.dicgc.org.in

संदर्भ: CO.DICG.CSD.सं.S 1587 /05-02-482/2024-2025

14 अक्टूबर, 2024

चार्टर्ड अकारंटेंट फर्म

(वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीएजी द्वारा सूचीबद्ध एससीए)

बीमाकृत बैंकों की दावा सूची और अभिलेखों की पुस्तकों के ऑनसाइट सत्यापन / प्रमाणीकरण के लिए सीए फर्म के पैनल के लिए निविदा - रुचि की अभिव्यक्ति

डीआईसीजीसी, आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो समय-समय पर संशोधित डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार पात्र जमाकर्ताओं (परिसमाप्त/एआईडी के तहत रखे गए/हस्तांतिरत बैंकों) के जमा बीमा दावों का निपटान करती है। इस उद्देश्य के लिए, निगम जमाकर्ता सूची और बीमित बैंकों के अभिलेखों की पुस्तकों के सत्यापन/प्रमाणन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्मों को नियुक्त करता है, जिसमें ऑन-साइट सत्यापन और डीआईसीजीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है।

- 2. बोलियों का उद्देश्य: डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 17, धारा 18 और डीआईसीजीसी (संशोधन) अधिनियम 2021 द्वारा डाली गई धारा 18ए के अनुपालन में, निगम वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सीएंडएजी के साथ सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक (एससीए) के रूप में सूचीबद्ध सीए फर्मों से बोलियां आमंत्रित करता है, सिवाय उन फर्मों के जो वर्तमान में आरबीआई के सांविधिक/सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक/समवर्ती लेखा परीक्षक/या डीआईसीजीसी सिहत आरबीआई की कोई सहायक कंपनी हैं। इस संबंध में डीआईसीजीसी का निर्णय अंतिम होगा। इस पैनल का उपयोग किसी भी बैंक के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए किया जाएगा, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 17, धारा 18 या धारा 18 ए के तहत देयता को पूरा करना आवश्यक *होगा*।
- 3. <u>प्रस्तुत करने का तरीका</u>: बोलियाँ एमएसटीसी के पोर्टल अर्थात www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। बोली में तकनीकी बोली के अनुलग्नक। में दिए गए प्रस्ताव के विभिन्न तकनीकी विवरणों के बारे में विवरण शामिल होंगे फॉर्म 1 के साथ परिशिष्ट 1 और 2, अनुबंध क IA और (अनुबंध II) (फर्म की मुहर और अधिकृत अधिकारी/व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ स्कैन की गई प्रति), जिसका नाम "तकनीकी बोली बीमित बैंकों के लिए सीए फर्मों

का पैनल बनाना - फर्म का नाम... (कृपया फर्म के नाम का संक्षिप्त नाम बताएं) 08 नवंबर 2024 को 17:00 बजे से पहले अपलोड न करें।

- 3.1 कोटेशन निर्धारित समयसीमा के भीतर अपलोड किए जाने चाहिए और डीआईसीजीसी के पास समयसीमा में कोई विस्तार देने या किसी भी शर्त को संशोधित करने का एकमात्र विवेकाधिकार होगा। निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राप्त अधूरी बोलियाँ और समयसीमा के बाद प्राप्त बोलियाँ डीआईसीजीसी द्वारा अस्वीकार कर दी जाएँगी। अधूरी बोलियों का मतलब होगा कि बोलियाँ समयसीमा के भीतर प्राप्त हुई हैं लेकिन पूरी तरह से भरी नहीं गई हैं।
- 4. तकनीकी बोलियाँ 11 नवंबर, 2024 को 12:00 बजे या डीआईसीजीसी द्वारा तय समय पर खोली जाएँगी। आंतरिक जाँच प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के बाद, सभी चयनित फर्मों को (ईमेल के माध्यम से) एक पैनल पत्र जारी किया जाएगा। पैनल के लिए चयनित फर्मों को स्वीकृति की पृष्टि करनी होगी और 02 दिनों के भीतर या प्रस्ताव पत्र में बताए अनुसार गोपनीयता वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 5. यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त पैनल तीन वर्षों के लिए है (प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाएगी) जैसा कि जारी किए जाने वाले पैनल पत्र में निर्दिष्ट किया जाएगा और यह डीआईसीजीसी के विवेक पर संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन है। डीआईसीजीसी कार्यकाल के दौरान असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में फर्म की सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है (कृपया पैरा 4.16 देखें) जिसमें अनुबंध को हासिल करने के लिए जानबूझकर/इरादतन कम बोलियां लगाना, सत्यापन कार्य का असंतोषजनक प्रदर्शन/देरी से/विलंबित प्रदर्शन शामिल है। निगम सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय वित्तीय बोलियों में भाग लेने से, असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर सीए फर्मों को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

डीआईसीजीसी सीए फर्मों को उन्हें आवंटित बैंकों से प्राप्त किए जाने वाले डेटा/सूचना के संबंध में सहायता प्रदान करेगा।

6. सीए की नियुक्ति के लिए एक सांकेतिक <u>'संदर्भ की शर्तें (टीओआर)</u> ' संदर्भ के लिए संलग्न हैं (अनुलग्नक II)। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त कार्य के लिए उद्धरण में जमाकर्ता सूची के दावे के सत्यापन/प्रमाणन के संदर्भ में सभी शुल्क शामिल होंगे, जिसमें निगम द्वारा दावों के भुगतान के लिए जमाकर्ता की ट्रेसबिलिटी का पता लगाने और डीआईसीजीसी (एआईडी के तहत रखे गए बैंकों के लिए) से बीमा दावा राशि प्राप्त करने के लिए जमाकर्ताओं की इच्छा का सत्यापन करने के लिए केवाईसी सत्यापन भी शामिल है। चूंकि बीमित राशि प्राप्त करने के इच्छुक जमाकर्ताओं को भुगतान वैधानिक समय सीमा (प्राप्ति के 45

दिन) के भीतर और समय-समय पर डीआईसीजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जाना है, इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया कार्य आदेश जारी करने के समय निगम द्वारा निर्दिष्ट अविध के भीतर पूरी होनी चाहिए। आवेदन करते समय सीए फर्मों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास समय पर कार्य पूरा करने के लिए <u>पर्याप्त अनुभवी जनशक्ति है।</u>

7. वित्तीय बोलियां: जब भी निगम किसी बैंक को जमा बीमा दावों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, तो पैनल में शामिल सीए फर्मों से वित्तीय बोलियाँ आमंत्रित की जाएँगी, जिसमें पैनल में शामिल सीए फर्मों को 7 दिनों के भीतर या निगम द्वारा तय किए गए अनुसार वित्तीय बोली प्रस्तुत करनी होगी। इन फर्मों को तुरंत गोपनीयता समझौता प्रस्तुत करना चाहिए और निविदा आमंत्रित करने के समय निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ऑनसाइट सत्यापन प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। पैनल से सीए फर्मों का चयन एला (सबसे कम) बोली के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा तय किया गया है। यदि दो या अधिक सीए फर्म एला बोली पर बराबर हैं, तो समिति पैनल के समय प्रस्तुत तकनीकी बोली में फर्म के स्कोर के आधार पर सीए फर्म का चयन कर सकती है। (निगम द्वारा एक टाई ब्रेकर तंत्र तैयार किया गया है, जिसमें यदि कोई फर्म एक से अधिक बैंकों के लिए एल 1 बोलीदाता के रूप में उभरती हुई पाई जाती है (एक से अधिक बैंकों के लिए बोलियां आमंत्रित किए जाने की स्थिति में), तो उक्त फर्म को उक्त बैंकों में से अधिकतम जमा खातों वाला बैंक आवंटित किया जाएगा और निगम अन्य बैंकों को एल 2 / एल 3 / एल 4 बोलीदाता को आवंटित करेगा, जैसा भी मामला हो)। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

इसके अलावा, यदि कोई सूचीबद्ध सीए फर्म बीमाकृत बैंकों के लिए नई बोलियों में भाग लेना चाहती है, जबिक उसे पहले से ही सत्यापन कार्य आवंटित है, तो वह ऐसा कर सकती है, बशर्ते कि वह यह वचन दे कि फर्म के पास कार्य की गुणवत्ता और समयसीमा के अनुपालन से समझौता किए बिना, नया कार्य करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हैं।

8. कृपया ध्यान दें कि बीमाकृत बैंकों के अभिलेखों और जमा बीमा दावों के सत्यापन/प्रमाणन के मामले में जमाकर्ता सूची परिसमापक/सीईओ/अधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और सीए फर्म को प्रस्तुत की जाएगी। सूची के भाग ए में बैंक के पता लगाने योग्य जमाकर्ता (एआईडी के तहत बैंकों के लिए रिकॉर्ड पर इच्छा और परिसमापन के तहत बैंकों के लिए रिकॉर्ड पर केवाईसी) शामिल हैं और भाग बी सूची में पता न लगाने योग्य जमाकर्ता शामिल हैं। ये दोनों सूचियाँ मिलकर बैंक के प्रति निगम की जमा बीमा देयता का गठन

करती हैं और सीए फर्म द्वारा पूरी तरह से सत्यापित की जानी चाहिए। बकाया जमा देयता बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक (या किसी अन्य प्रक्रिया जो डीआईसीजीसी द्वारा सलाह दी जाएगी) द्वारा प्रमाणित की जाएगी। सीए सत्यापन में बैंक की लिकिड फंड स्थिति का प्रमाणीकरण (परीक्षण शेष/ऑडिट पुष्टि/वास्तविक पुस्तकों से सत्यापित सीईओ के प्रमाणीकरण के आधार पर) के साथ-साथ दावा सत्यापन रिपोर्ट (निगम द्वारा निर्देशित) भी शामिल होगी। सीए फर्म को भाग बी सूची की वास्तविकता और प्रामाणिकता और शेष राशि को सत्यापित करना आवश्यक है।

सीए फर्म को यह सत्यापित करना आवश्यक है कि क्या बैंक ने अन्यथा देय राशि से अधिक राशि का दावा करने के लिए कोई लेनदेन किया है, क्या सदस्यों की शेयर पूंजी राशि कट-ऑफ तिथि के बाद जमा खातों में स्थानांतिरत की गई थी, क्या बैंक ने कट-ऑफ तिथि पर कारोबार बंद होने तक खातों की पुस्तकें बंद कर दी थीं, क्या बैंक द्वारा किसी विशेष खाते में जमा की गई कुल राशि को नए खाते खोलकर / या कट-ऑफ तिथि के बाद मौजूदा खातों में विभाजित करके खातों का कोई पुनर्गठन किया गया था। इस संबंध में निष्कर्ष / टिप्पणियां निगम को अलग से रिपोर्ट की जानी हैं।

प्रासंगिक भौतिक अभिलेखों की हार्ड कॉपी (एफडीआर, खाता खोलने के फॉर्म आदि सहित) / सीमित सीबीएस रीड एक्सेस बैंक के प्रधान कार्यालय में सीए फर्म को उपलब्ध कराई जाएगी।

9. वर्तमान अनुमानों के अनुसार, सीए फर्म को देय सांकेतिक शुल्क प्रति जमाकर्ता 10 से 12 रुपये के बीच भिन्न हो सकता है, जिसमें लागू कर शामिल नहीं हैं। दरें पूरी तरह से सांकेतिक हैं, और फर्मों को सलाह दी जाती है कि वे बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले अपना स्वयं का विश्लेषण करें, वित्तीय बोलियों की स्वीकृति के बाद किसी भी आगे के प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। निगम उन मामलों में सीए फर्मों को न्यूनतम सुनिश्चित शुल्क देने पर विचार कर सकता है जहाँ जमाकर्ताओं की संख्या निगम द्वारा तय की गई एक निश्चित संख्या से कम है। यह सूचित किया जाता है कि उद्धरण जमाकर्ता-वार प्रस्तुत किए जाने चाहिए न कि खाता-वार। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 'खातों की संख्या' और 'जमाकर्ताओं की संख्या' शब्द अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, यदि जमाकर्ता 'X' के पास बचत बैंक खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता है, तो उनके नाम पर खातों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल एक जमाकर्ता के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो डीआईसीजीसी लेखापरीक्षा के लिए होने वाली अतिरिक्त लागतों को कवर करने के लिए स्वीकृत मूल्य के अतिरिक्त आकस्मिक शुल्क का भुगतान करने पर विचार कर सकता

है, जब सीए फर्म का उस राज्य में कोई कार्यालय नहीं है जिसमें बैंक का मुख्यालय है, लेकिन उसका चयन

वित्तीय बोलियों (कुल बिल मूल्य के 15% से अधिक नहीं) के आधार पर किया गया है।

कृपया ध्यान दें कि यदि किसी बैंक को एआईडी के अंतर्गत रखा जाता है, तो सत्यापन कार्य के लिए सीए

फर्म को नियुक्त किए जाने पर, निगम सत्यापन कार्य के लिए उसी सीए फर्म को प्रस्ताव देगा, यदि बैंक को

बाद में परिसमापन के अंतर्गत रखा जाता है। यह प्रस्ताव सीए फर्मों द्वारा उसी नियम, शर्तों और प्रति

जमाकर्ता दर पर असाइनमेंट स्वीकार करने पर निर्भर करेगा, जिस पर बैंक के एआईडी के अंतर्गत रहने

के दौरान सहमति हुई थी।

10. सीए फर्म को RfP दस्तावेज़ और नियुक्ति पत्र में दिए गए दिशा-निर्देशों और भारत सरकार, RBI और

डीआईसीजीसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए,

जिसमें समय पर GST भुगतान (फर्म द्वारा) और GST पोर्टल पर उसका विवरण शामिल है। ज़रूरत पड़ने

पर फर्म को सत्यापन के दौरान सुरक्षित किए गए ऐसे दस्तावेज़ों की प्रतियाँ प्रस्तुत करने की सलाह दी

जाएगी।

11. डीआईसीजीसी बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार

सुरक्षित रखता है और इस मामले में आगे कोई पत्राचार नहीं करेगा। इस बात पर जोर दिया जाता है कि

डीआईसीजीसी द्वारा फर्म को सूचीबद्ध करने से रोजगार का आश्वासन नहीं मिलता है। जब भी फर्म की

सेवाओं की आवश्यकता होगी, फर्म को काम पर रखा जाएगा।

भवदीया,

ह/-

(पवनजीत कौर ऋषि)

उप महाप्रबंधक

संलग्रे यथोक्त

V



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

2024-27 के लिए बीमाकृत बैंकों की दावा सूची और अभिलेखों बहियों के ऑनसाइट सत्यापन / प्रमाणीकरण के लिए सीए फर्मों के पैनल के लिए प्रस्ताव का अनुरोध

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम



Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

www.dicgc.org.in

कार्यालय: भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, द्वितीय तल, (मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने), भायखला, मुंबई, महाराष्ट्र – 400008

यह दस्तावेज़ डीआईसीजीसी की संपत्ति है। इसे डीआईसीजीसी की लिखित अनुमित के बिना किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा पर कॉपी, वितिरत या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ में दी गई सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि अधिकृत किमयों / एजेंसियों द्वारा भी यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए, सख्त वर्जित है क्योंकि यह कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इस प्रकार भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

विषय-सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.0	प्रस्ताव के लिए अनुरोध	3-3
2.0	एमएसटीसी के माध्यम से प्रस्ताव	3-4
3.0	महत्वपूर्ण बोली जानकारी सारांश	4-4
4.0	परिचय और अस्वीकरण	
4.1	आरएफपी का उद्देश्य	5-5
4.2	उपलब्ध कराई गई जानकारी	5-5
4.3	अस्वीकरण	5-5
4.4	उत्तरदाताओं द्वारा वहन की जाने वाली लागत	6-6
4.5	कोई कानूनी संबंध नहीं	6-6
4.6	प्रतिवादी का स्वयं को सूचित करने का दायित्व	6-6
4.7	प्रस्तावों का मूल्यांकन	6-6
4.8	गोपनीयता और गोपनीयता बनाए रखना	6-6
4.9	भूल चूकक लेनी देनी	6-6
4.10	शर्तों की स्वीकृति	7-7
4.11	आरएफपी दाखिल करना	7-8
4.12	उद्धरण संदर्भ	8-8
4.13	आरएफपी से संबंधित प्रश्नों के संबंध में संचार	8-8
4.14		8-9
4.15	फर्म को बोली लगाने से रोकना	9-9
4.16	सूचीबद्ध सूची से सीए फर्म को हटाने के मानदंड	9-10
4.17	तैनाती	10-10
5.0	कार्यकाल	10-10
	चयन प्रक्रिया	11-11
7.0	तकनीकी मूल्यांकन	12-13
8.0	सामान्य दिशानिर्देश एवं निर्देश	
8.1	सरकारी कर	14-14
8.2	निविदाओं में परिवर्तन	14-14
8.3	निविदाओं के साथ पत्र और घोषणापत्र	14-14
8.4	निविदा में भागीदारी	14-14
8.5	एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित हो	14-15
8.6	उपक्रम	15-15
	हानि से सुरक्षा	15-15
	दूसरों को सौंपना	15-15

8.9	समापन	15-16
8.10	विवादों का समाधान	16-17
8.11	बोलीदाता के प्रदर्शन में देरी - दंड	17-17
8.12	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न	17-18
8.13	आरएफपी के नियमों और शर्तों की पुष्टि	18-18
	अनुबंध	

1 प्रस्ताव हेतु अनुरोध

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) बीमाकृत बैंकों की जमाकर्ता सूची और अभिलेख बिहयों के ऑनसाइट सत्यापन/प्रमाणन के लिए सीए फर्म के पैनल में शामिल करने के लिए प्रतिष्ठित पात्र सीए फर्मों से इस प्रस्ताव हेतु अनुरोध ("आरएफ़पी") के लिए तकनीकी प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित करता है। सीए फर्मों के पास बैंकों की बहियों की लेखा परीक्षा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए और समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति (आवश्यक संख्या में सीए /योग्य सहायक/अधिकारी) होनी चाहिए।

2. एमएसटीसी के माध्यम से प्रस्ताव

बोली केवल ई-टेंडरिंग मोड के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। ई-टेंडरिंग के लिए नियम और शर्तें अनुलग्नक v में विस्तृत हैं और प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं:

क. डीआईसीजीसी ने ई-टेंडिंग सेवाओं के लिए एमएसटीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। बोली लगाने वाले से एमएसटीसी लिमिटेड ईकॉमर्स वेब पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने की अपेक्षा की जाती है। बोली लगाने वाले के पास एन्क्रिप्शन और हस्ताक्षर अधिकारों के साथ एक डिजिटल प्रमाणपत्र होना अपेक्षित है। एमएसटीसी लिमिटेड ईकॉमर्स वेब पोर्टल पर विक्रेता पंजीकरण एमएसटीसी वेबसाइट पर मौजूद है।

ख. एमएसटीसी लिमिटेड ईकॉमर्स वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना और आवश्यक डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना बोलीदाता की जिम्मेदारी है।

ग. डीआईसीजीसी संपूर्ण आरएफपी को एमएसटीसी लिमिटेड ईकॉमर्स वेब पोर्टल (http://www.mstcecommerce.com/eprochome/DICGC) पर अनुलग्नकों के साथ अपलोड करेगा।

घ. बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोलीदाता को एमएसटीसी को उनके द्वारा तय की गई अपेक्षित राशि का भुगतान करना होगा।

3.0 महत्वपूर्ण बोली जानकारी सारांश:

उद्देश्य	विवरण
बोली दस्तावेज़ की लागत	बोली दस्तावेज के लिए कोई लागत निर्धारित नहीं की गई है।
बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि	08 नवंबर, 2024 17:00 बजे
और समय	
आरएफपी पर स्पष्टीकरण मांगने की	आरएफपी के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, केवल ई-मेल के
अंतिम तिथि	माध्यम से dicgcbids1@rbi.org.in पर 31 अक्टूबर 2024 को
2 0 3	17:00 बजे तक मांगा जा सकता है।
बोली वैधता	प्रस्ताव को आरएफपी बंद होने के समय से कम से कम इक्कीस दिन (21 दिन) की अवधि तक वैध और मूल्यांकन के लिए खुला
	रहना चाहिए।
बोलियां प्रस्तुत करने का पता	केवल एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से।
-110 11 7 Ngu 12 V 1 12 101	महत्वपूर्ण तिथियां
एमएसटीसी में बोलियों की स्वीकृति	14 अक्टूबर, 2024 को 12:00 बजे
शुरू	
बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि	08 नवंबर, 2024 को 17:00 बजे
और समय	
तकनीकी बोलियां खोलना	11 नवंबर, 2024 को 12:00 बजे या DICGC द्वारा तय किए गए
	अनुसार। बोलीदाताओं को इसकी सूचना दी जाएगी
प्रस्ताव की स्वीकृति	02 दिनों के भीतर या प्रस्ताव पत्र में बताए अनुसार

नोट: इस आरएफ़पी के तहत आवश्यक सभी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। अधूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने योग्य है। इस संबंध में डीआईसीजीसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। RfP को डीआईसीजीसी की वेबसाइट http://www.dicgc.org.in पर "टेंडर नोटिस" लिंक के अंतर्गत भी होस्ट किया गया है। डीआईसीजीसी ऊपर बताई गई तिथियों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोलीदाताओं को आरएफ़पी पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने से पहले वेबसाइट अवश्य जांचनी चाहिए।

4. परिचय और अस्वीकरण

4.1 आरएफपी का उद्देश्य

आरएफपी का उद्देश्य "बीमित बैंकों की जमाकर्ता सूची और के ऑनसाइट सत्यापन / प्रमाणन के लिए सीए फर्मों को सूचीबद्ध करना" है। फर्म को पीएसबी/सहकारी बैंकों के ऑडिट का अनुभव होना चाहिए। सीए फर्म के पास ऑनसाइट सत्यापन के माध्यम से बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं की अभिलेखों और दावों की पुस्तकों को सत्यापित करने और डीआईसीजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप में डीआईसीजीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए।

4.2 प्रदान की गई जानकारी

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफ़पी) दस्तावेज़ में ऐसी जानकारी से प्राप्त कथन शामिल हैं, जो उस तिथि पर प्रासंगिक मानी जाती है, लेकिन इसमें वह सभी जानकारी प्रदान करने का दावा नहीं किया गया है जो इच्छुक अनुबंध पक्ष को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो सकती है कि डीआईसीजीसी के साथ अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करना है या नहीं। जबिक व्यापक पृष्ठभूमि जानकारी और आवश्यकताओं और विनिर्देशों को प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, न तो डीआईसीजीसी और न ही इसके किसी भी कर्मचारी, एजेंट, ठेकेदार या सलाहकार ने इस दस्तावेज़ में दी गई या बनाई गई किसी भी जानकारी या कथन की सटीकता या पूर्णता के बारे में कोई बयान या वारंटी, स्पष्ट या निहित, रूप दी है। न तो डीआईसीजीसी और न ही इसके किसी भी कर्मचारी, एजेंट, ठेकेदार या सलाहकार ने दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से की सामग्री के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षा या सत्यापन अभ्यास न तो किया है और न ही करेंगे।

4.3 अस्वीकरण

इसके विपरीत किसी भी कानून के अधीन, और कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, डीआईसीजीसी और उसके अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, एजेंट और सलाहकार इस आरएफ़पी दस्तावेज़ या इसके सहायक आचरण में निहित पूर्वानुमानों, बयानों, अनुमानों या प्रक्षेपणों सिहत किसी भी जानकारी के कारण कार्य करने या कार्य करने से परहेज करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान या क्षित (चाहे पूर्वानुमानित हो या न हो) के लिए सभी देयताओं से इनकार करते हैं, चाहे नुकसान या क्षित डीआईसीजीसी या उसके किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, एजेंट या सलाहकार की ओर से किसी भी लापरवाही, चूक, भूल, ध्यान की कमी या गलत बयानी के संबंध में उत्पन्न हुई हो या नहीं।

4.4 प्रतिवादियों द्वारा वहन की जाने वाली लागतें

प्रतिवादियों द्वारा प्रतिक्रियाओं के विकास, तैयारी और प्रस्तुतिकरण से संबंधित किसी भी तरह से किए गए सभी लागत और व्यय, जिसमें बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शनों आदि में उपस्थिति और डीआईसीजीसी द्वारा आवश्यक कोई भी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, पूरी तरह से और विशेष रूप से प्रतिवादी द्वारा वहन किए जाएंगे।

4.5 कोई कानूनी संबंध नहीं

अनुबंध संबंधी समझौते के निष्पादन तक किसी भी प्रतिवादी और डीआईसीजीसी के बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध मौजूद नहीं होगा।

4.6 उत्तरदाता की खुद को सूचित करने की जिम्मेदारी

उत्तरदाता को आरएफ़पी दस्तावेज़ में निहित किसी भी जानकारी और उस जानकारी के अर्थ और प्रभाव के संबंध में अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करना चाहिए।

4.7 प्रस्तावों का मूल्यांकन

प्रत्येक उत्तरदाता मानता है और स्वीकार करता है कि डीआईसीजीसी अपने पूर्ण विवेक में प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेज़ में निर्दिष्ट चयन मानदंड लागू कर सकता है तािक पात्र विक्रेता को (विक्रेताओं) चयनित किया जा सके। आरएफपी दस्तावेज़ किसी भी अनुबंध या व्यवस् / शॉर्ट लिस्टथा का हिस्सा नहीं होगा, जो इस दस्तावेज़ के जारी होने या किसी प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए किसी भी जांच या समीक्षा के परिणामस्वरूप हो सकता है।

4.8 गोपनीयता बनाए रखना

प्रतिवादी डीआईसीजीसी की सभी जानकारी/डेटा/संचालन आदि की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। पैनल में शामिल सीए फर्मों को इसके लिए सूचित दिए जाने पर निगम के साथ एक गोपनीयता समझौता निष्पादित करना होगा।

4.9 त्रुटियाँ और चूक

प्रतिवादी को अपने आरएफपी दस्तावेज़ में पाई गई किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के बारे में 31 अक्टूबर, 2024 तक डीआईसीजीसी को सूचित करना होगी।

4.10 शर्तों की स्वीकृति

एक प्रतिवादी, आरएफपी के लिए डीआईसीजीसी को जवाब देकर, यह माना जाएगा कि उसने इस परिचय और अस्वीकरण की शर्तों को स्वीकार कर लिया है और उसे अनुबंध-IV के अनुसार इस आरएफपी के सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति की हस्ताक्षरित प्रति जमा करनी होगी।

4.11 आरएफपी जमा करना

4.11.1 आरएफपी सबिमशन: कृपया इस दस्तावेज़ के पैरा 2 को देखें।

4.11.2 बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बोली के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। बोली लगाने वाले द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक करने के लिए आवश्यक होने के अलावा बोली में कोई मिटाना या ओवरराइटिंग नहीं होगी, जिस स्थिति में सुधार बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाएगा। यदि सबिमशन में सभी आवश्यक जानकारी शामिल नहीं है या अधूरी है, तो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जा सकता है। अधिकारी के हस्ताक्षर प्राधिकारी के लिए प्राधिकार पत्र भी फर्म के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाए।

4.11.3 किसी भी संलग्न दस्तावेज सिंहत सभी प्रस्तुतियाँ, डीआईसीजीसी की संपत्ति बन जाएंगी। यह माना जाएगा कि मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उनके सबिमशन के पूरे या किसी हिस्से को पुन: पेश करने, अन्य उत्तरदाताओं को सबिमशन की सामग्री का खुलासा करने और किसी भी परिणामी आरएफपी प्रक्रिया के आधार के रूप में सबिमशन की सामग्री का खुलासा करने और / या उपयोग करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा डीआईसीजीसी को लाइसेंस और सभी अधिकार दिए गए हैं, किसी भी कॉपीराइट या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार के बावजूद जो सबिमशन या संलग्न दस्तावेजों में मौजूद हो सकता है।

4.11.4 आरएफपी वैधता अवधि कृपया इस दस्तावेज़ के पैरा 5 को देखें।

4.11.5 बोली दस्तावेज़ की लागत

बोली दस्तावेज़ के लिए कोई लागत निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, एमएसटीसी पोर्टल के लिए पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति डीआईसीजीसी द्वारा नहीं की जाएगी

4.11.6 प्रति बोलीदाता एक बोली

प्रत्येक बोलीदाता नियुक्ति के लिए केवल एक बोली प्रस्तुत करेगा।

4.11.7 देर से बोली

बोलियां जमा करने की समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी बोली को "देर से बोली" माना जाएगा और प्रतिस्पर्धी बोली के लिए ऐसी बोलियों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा।

4.12 उद्धरण संदर्भ: बोलियां केवल वित्तीय बोली के समय प्रति जमाकर्ता-वार उद्धृत की जानी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि खातों की संख्या जमाकर्ताओं की संख्या से भिन्न हो सकती है क्योंकि एक जमाकर्ता के नाम पर एक से अधिक खाते हो सकते हैं।

4.13 आरएफपी से संबंधित प्रश्नों के संबंध में संचार

उत्तरदाताओं को इस आरएफपी से संबंधित सभी संचार को dicgcbids1@rbi.org.in पर निर्देशित करना आवश्यक है।

- 4.13.1 डीआईसीजीसी, अपने पूर्ण विवेक से, आरएफपी बंद होने के बाद किसी भी उत्तरदाता से अतिरिक्त जानकारी या सामग्री मांग सकता है और प्रदान की गई ऐसी सभी जानकारी और सामग्री को उस प्रतिवादी की प्रतिक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए।
- 4.13.2 उत्तरदाताओं को अपने संपर्क/नोडल व्यक्ति के टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल और पूर्ण डाक पते का विवरण प्रदान करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरएफपी के उत्तर तुरंत दिए जा सकें।
- 4.13.3 यदि डीआईसीजीसी, अपने पूर्ण विवेक से, यह मानता है कि प्रश्न के प्रवर्तक को किसी प्रश्न के उत्तर से लाभ मिलेगा, तो डीआईसीजीसी के पास सभी उत्तरदाताओं को ऐसी प्रतिक्रिया संप्रेषित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 4.13.4 डीआईसीजीसी, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी प्रतिक्रिया को सुधारने या स्पष्ट करने के लिए आरएफपी बंद होने के बाद चर्चा में शामिल हो सकता है। यह अपने विवेक पर, बोलियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए (बोलियां खोलने से पहले) अतिरिक्त समय दे सकता है। अतिरिक्त कार्य, यदि कोई हो, उस बैंक के संबंध में दिया जा सकता है जिसके लिए सीए फर्म को नियुक्त किया गया है।

4.14 अधिसूचना

डीआईसीजीसी सफल बोलीदाताओं को लिखित रूप में सूचित करेगा। डीआईसीजीसी ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। यदि किसी बैंक के संबंध में चयनित

बोलीदाता को ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है, तो उसे उस बैंक के लिए किए गए कार्य के लिए प्रासंगिक कार्य पूरा करना होगा।

4.15 फर्म को बोली लगाने से रोकना:-

फर्म/बोलीदाता को निम्नलिखित आधारों पर बोली लगाने/निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा:

- क) बोली प्रक्रिया में अनुचित लाभ के लिए या बोली प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, किसी उपहार या किसी भौतिक लाभ की पेशकश करना, याचना करना या स्वीकार करना।
- ख) कोई भी चूक, गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय लाभ प्राप्त किया जा सके, या किसी दायित्व से बचा जा सके।
- ग) कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जो बोली प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता या प्रगति को ख़राब कर सकता है।
- घ) बोली लगाने वाले और बोली प्रक्रिया के किसी अधिकारी के बीच कोई वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डीआईसीजीसी के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।
- ड.) बोली प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई जबरदस्ती या कोई धमकी।
- च) बोली प्रक्रिया की किसी भी जांच या ऑडिटिंग में बाधा।
- छ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए गलत घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना।
- ज) हितों के टकराव की घोषणा करने में विफल।
- झ) किसी भी सार्वजनिक खरीद संस्थान इकाई द्वारा प्रतिबंधित किए जाने का खुलासा करने में विफल रहा।
- ण) पिछले कार्यों में डीआईसीजीसी द्वारा देखा गया असंतोषजनक प्रदर्शन ।

4.16 सीए फर्म को पैनलबद्ध सूची से हटाने के लिए मानदंड

क एक वर्ष की अवधि में लगातार तीन मौकों पर वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने के लिए कॉल नोटिस का जवाब देने में विफल रहता है।

- ख दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने के लिए जिम्मेदार साबित हुआ है।
- ग सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए जारी की गई समयसीमा या दिशानिर्देश जैसी किसी भी महत्वपूर्ण शर्त का लगातार उल्लंघन करता है।
- घ पंजीकरण / पैनल में शामिल होने की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या पंजीकरण / पैनल में शामिल होने के समय गलत विवरण देता पाया गया है।
- ङ गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया गया और निगम को बैंक की दोबारा लेखा परीक्षा करनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप निगम को प्रतिष्ठा जोखिम या वित्तीय जोखिम हुआ।
- च दिवालियां घोषित कर दिया गया है या दिवालिया घोषित होने, ख़त्म होने, विघटित होने या विभाजित होने की प्रक्रिया में है।

4.17 तैनाती: फर्म को बीमित बैंक मुख्यालय में कम से कम एक सीए, एक कुशल सहायक, (आईपीसीसी परीक्षा के समूह ॥ उत्तीर्ण) और दो अर्ध-कुशल कर्मियों (आईपीसीसी के कम से कम समूह । और आर्टिकल प्रशिक्षण से गुजरने वाले) को तैनात करना चाहिए और बैंक में जमाकर्ताओं की संख्या के अनुरूप कर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

5. कार्यकाल

- 5.1. परिसमापन, सहायता और अंतरिती बैंकों के तहत रखे गए बैंक द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन/प्रमाणीकरण के लिए पैनल डीआईसीजीसी के विवेक पर वार्षिक समीक्षा और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन 3 साल की अविध के लिए है। पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के आधार पर कार्यकाल में विस्तार हो सकता है। कार्यकाल के दौरान असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में डीआईसीजीसी के पास फर्म की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 5.2. पात्रता, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच, असाइनमेंट का पुरस्कार और इस अधिसूचना से संबंधित किसी भी अन्य मामले जैसे सभी मामलों में डीआईसीजीसी का निर्णय अंतिम और आवेदकों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में डीआईसीजीसी द्वारा किसी भी पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. चयन प्रक्रिया

यह ध्यान दिया जाए कि आंतरिक जांच प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के बाद, पैनल में शामिल सीए फर्मों की एक सूची डीआईसीजीसी वेबसाइट (https://dicgc.org.in) पर प्रकाशित की जाएगी। चयन तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम 50 अंकों के स्कोर या डीआईसीजीसी द्वारा तय किए गए अनुसार होगा। यह पैनल केवल इस आरएफपी दस्तावेज़ में निर्दिष्ट निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए होगा।

जब भी कोई बैंक जमा बीमा दावों की प्राप्ति के लिए पात्र हो जाता है, तो सूचीबद्ध सीए फर्मों से वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। सौंपे गए कार्य को पूरा करने और सीए फर्मे के संतोषजनक प्रदर्शन के संबंध में निर्णय निगम द्वारा आंतिरक रूप से किया जाएगा और तदनुसार सीए फर्मों की पात्रता तय की जाएगी। पैनल से सीए फर्मों का चयन एल1 (न्यूनतम) कोटेशन के आधार पर किया जाएगा जैसा कि इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा तय किया गया है। यदि दो या दो से अधिक सीए फर्म एल1 कोटेशन पर टाई हो जाती हैं, तो समिति पैनल में शामिल होने के समय प्रस्तुत तकनीकी बोली में फर्म के स्कोर के आधार पर सीए फर्म का चयन कर सकती है। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। (निगम द्वारा एक टाई ब्रेकर तंत्र तैयार किया गया है, जिसमें यदि कोई फर्म लॉट में एक से अधिक बैंकों के लिए एल 1 बोलीदाता के रूप में उभरती हुई पाई जाती है (एक से अधिक बैंकों के लिए बोली लगाने के मामले में), तो उक्त फर्म को उक्त बैंकों के बीच अधिकतम जमा खातों वाले बैंक आवंटित किए जाएंगे और निगम अन्य बैंकों को एल 2 / एल 3 / एल 4 बोली लगाने वाले को आवंटित करेगा, जैसा भी मामला हो)। इस संबंध में सिनित का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

जिन बैंकों के दावे का निपटान डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के तहत किया जा रहा है, यदि आवंटित बैंक पर एआईडी प्रतिबंध 90 दिनों से पहले हटा दिए जाते हैं या कोई अन्य नियामक निर्णय होता है, तो बैंक के लिए बोली रद्द कर दी जाएगी। हालाँकि, आरबीआई के विनियमन विभाग (डीओआर) से ऐसे निर्देश प्राप्त होने पर बैंक के लिए अधिनियम की धारा 18ए(7)(ए) के प्रावधानों (समामेलन/समझौता/व्यवस्था या नियामक द्वारा पुनर्निर्माण की योजना) को लागू करने के मामले में, बैंक के लिए नियुक्त सीए फर्म जमा की गई संपूर्ण जमाकर्ता सूची को ऐसे (विस्तारित) समय में सत्यापित करेगी जिसे डीआईसीजीसी द्वारा सूचित किया जाएगा।

यदि अधिनियम के तहत दायित्व समाप्त हो जाता है, तो डीआईसीजीसी कार्य अनुबंध रद्द कर देगा।

7. इस आरएफपी का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा: -

तकनीकी मूल्यांकन:

ए. पात्रता मानदंड:

- क बोली लगाने वाला एक सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक (एससीए) होना चाहिए।
- ख फर्म के पास तीन साल से अधिक समय तक पीएसबी/सहकारी बैंकों का ऑडिट करने का अनुभव होना चाहिए।
- ग कंपनी चालू वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 के लिए C&AG पैनल में होनी चाहिए।
- घ जो फर्म वर्तमान में आरबीआई के सांविधिक / सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक / समवर्ती लेखा परीक्षक / सलाहकार / निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नि<mark>गम</mark> (डीआईसीजीसी) सहित आरबीआई की किसी भी सहायक कंपनी के लिए कार्यरत हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- ङ पिछले 3 वर्षों के भीतर डीआईसीजीसी/आरबीआई/किसी सांविधिक निकाय द्वारा प्रतिबंधित कोई भी फर्म आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
- च कोई भी फर्म जिसने जमा बीमा दावों से संबंधित सत्यापन कार्य संतोषजनक तरीके से नहीं किया है, वह आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।

बी. अनिवार्य मानदंड:

- क) फर्म में कम से कम दो पूर्णकालिक योग्य सीए कार्यरत होने चाहिए।
- ख) फर्म या उसके किसी भी भागीदार को डीआईसीजीसी/आरबीआई या किसी राज्य/केंद्र सरकार के विभाग/संस्थान या किसी राज्य/केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और/या नियंत्रित किसी भी स्वायत्त निकाय सिहत किसी भी केंद्रीय/राज्य पीएसयू द्वारा जारी निविदा में भाग लेने से पिछले 3 वर्षों के दौरान कभी भी (आवेदन की तिथि के अनुसार) ब्लैकिलस्ट/वर्जित नहीं किया जाना चाहिए। पैनल में शामिल होने के बाद, सीए फर्म वार्षिक आधार पर समान घोषणा प्रस्तुत करने और किसी भी ब्लैकिलिस्टिंग/डिबारिंग के मामले में तुरंत निगम को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

- ग) संबंधित फर्म/साझेदार को किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए और आवेदन की तिथि तक उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए।
- घ) यह आवश्यक है कि, बीमित बैंकों के रिकॉर्ड बहियों और दावों के ऑन-साइट सत्यापन के लिए सीए के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए पात्र होने के लिए निर्धारित उपरोक्त सभी मानदंड पूरे किए जाएं। पात्रता/अनिवार्य मानदंड को आवेदन के समय पूरा करना होगा और फर्म समझौते के पूरे कार्यकाल के दौरान मानदंडों को पूरा करना जारी रखेगी। फर्म/साझेदारों को डीआईसीजीसी के किसी निदेशक/कर्मचारी/अधिकारी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा करना चाहिए। इस संबंध में डीआईसीजीसी का निर्णय अंतिम होगा।

8 सामान्य दिशानिर्देश एवं निर्देश

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आरएफपी दस्तावेजों में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों, आवश्यकताओं और अन्य जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। बोली जमा करना आरएफपी दस्तावेज़ के सावधानीपूर्वक अध्ययन और परीक्षण के साथ इसके निहितार्थों की पूरी समझ के बाद किया गया माना जाएगा।

- 1. बोलीदाताओं को यह करना होगा:
- बोली जमा करते समय इस आरएफपी में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज शामिल करें।;
- इस आरएफपी के प्रारूप का पालन करें और इस आरएफपी में निर्धारित क्रम में प्रत्येक तत्व पर प्रतिक्रिया दें।
- इस आरएफपी में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
- 2. डीआईसीजीसी द्वारा असाइनमेंट के सफल पुरस्कार पर बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी को उन पर अनुबंधात्मक रूप से बाध्यकारी माना जा सकता है।
- 3. किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिबद्धता, संविदात्मक या अन्यथा, तब तक अस्तित्व में नहीं रहेगी जब तक कि डीआईसीजीसी द्वारा या उसकी ओर से एक औपचारिक लिखित पत्र नहीं दिया जाता है। डीआईसीजीसी द्वारा पसंदीदा बोलीदाता की स्थिति की कोई भी अधिसूचना बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रवर्तनीय अधिकार

- को जन्म नहीं देगी। डीआईसीजीसी द्वारा या उसकी ओर से औपचारिक लिखित पत्र जारी किए जाने से पहले किसी भी समय डीआईसीजीसी इस सार्वजनिक पैनल को रद्द कर सकता है।
- 4. बोलीदाता अपने कर्मचारियों, एजेंटों द्वारा किए गए किसी भी कार्य, कार्य या चीजों के लिए उत्तरदायी होगा, जो डीआईसीजीसी द्वारा निहित शक्ति या जारी किए गए निर्देशों के दायरे से बाहर है।
- 5. बोली लगाने वाला काम शुरू करने या निष्पादित करने में देरी के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।
- 6. यह अच्छी तरह से परिभाषित और समझा गया है कि श्रमिक या बोलीदाता के किसी भी कर्मचारी को डीआईसीजीसी पर रोजगार के दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 7. डीआईसीजीसी को बोली लगाने वाले की ओर से देरी, असंतोषजनक प्रदर्शन या चूक के मामले में बोली लगाने वाले को होने वाले किसी भी भुगतान को रोकने का अधिकार होगा।
- **8.1 सरकारी कर** भारत सरकार के अप्रत्यक्ष कर, उपकर आदि सिहत किसी भी सरकारी कर के प्रयोजन के लिए सेवाओं की स्थिति स्थापित करने के लिए बोलीदाता जिम्मेदार हैं। किसी भी लागू कर को वित्तीय प्रस्ताव/बोली में दर्शाया/घटाया जाना चाहिए।
- 8.2 निविदाओं में परिवर्तन बोली में किसी भी पांडुलिपि या अन्य परिवर्तन को निर्धारित समय सीमा के भीतर दिनांकित और निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- 8.3 निविदाओं के साथ पत्र और घोषणा बोली के साथ फर्म के लेटर हेड पर एक पत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि होनी चाहिए जिसमें बोली लगाने वाले का पूरा पंजीकृत नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता दर्शाया गया हो। इसे बोलीदाताओं को बाध्यकारी अनुबंध के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए उपयुक्त प्राधिकार के व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- 8.4 निविदाओं में भागीदारी बोलियां केवल एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।
- 8.5 हितों का टकराव बोलीदाताओं को अपनी बोली में व्यक्तिगत, वित्तीय और व्यावसायिक गतिविधियों सिहत किसी भी परिस्थिति के विवरण का खुलासा करना होगा जो हितों के टकराव को जन्म देगा या पैदा कर सकता है। जहां बोलीदाताओं को किसी भी संभावित टकराव की पहचान होती है, उन्हें यह बताना चाहिए कि वे ऐसे टकरावों से कैसे बचना चाहते हैं। डीआईसीजीसी किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार

सुरिक्षत रखता है, जो डीआईसीजीसी की राय में, हितों के टकराव को जन्म देती है, या संभावित रूप से उत्पन्न कर सकती है।

8.6 अंडरटेकिंग - बोलीदाताओं को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि:

- पिछले तीन वर्षों के दौरान (आवेदन की तिथि के अनुसार) आईसीएआई/डीआईसीजीसी या अन्य नियामक/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा इकाई या उसके भागीदारों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है या व्यवसाय को निलंबित करने का विचार नहीं किया गया है।
- किसी भी भागीदार/कर्मचारी को नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है या आर्थिक अपराध का दोषी नहीं पाया गया है।
- व्यवसाय के अस्तित्व/प्रैक्टिस जारी रखने के अधिकार के संबंध में भारत की किसी भी अदालत में कोई अपील/अनसुलझा विवाद/मुकदमा/मामला/आवेदन लंबित नहीं है।
- 8.7 क्षतिपूर्ति सफल बोलीदाता असाइनमेंट के प्रदर्शन में उचित कौशल, देखभाल और परिश्रम का प्रयोग करेगा और अनुबंध के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रदर्शन या अन्यथा के संबंध में फर्म या उसके कर्मचारियों, एजेंटों या उप-ठेकेदारों द्वारा अनुबंध के उल्लंघन, वैधानिक कर्तव्य या लापरवाही से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति या दावे के संबंध में डीआईसीजीसी, उसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देगा और रखेगा।
- 8.8 दूसरों को सौंपना सफल बोलीदाता, डीआईसीजीसी की पूर्व लिखित सहमित के बिना, अनुबंध के तहत अपने किसी भी अधिकार या दायित्व या उसके किसी हिस्से, शेयर या हित को, चाहे वास्तव में या अधिग्रहण, विलय या विशेषज्ञों की पहचान या चिरत्र में अन्य परिवर्तन के परिणामस्वरूप, सौपेंगा या स्थानांतिरत नहीं करेगा या सौंपना या स्थानांतिरत नहीं कराएगा। ऐसे किसी भी असाइनमेंट या स्थानांतरण पर, यह अनुबंध डीआईसीजीसी द्वारा तुरंत समाप्त किया जा सकता है।

8.9. समाप्ति -

8.9.1 जिन बैंकों का दावा डीआईसीजीसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 18ए के तहत निपटाया जा रहा है, यदि आवंटित बैंक पर एआईडी प्रतिबंध 90 दिनों से पहले हटा दिए जाते हैं या कोई अन्य नियामक निर्णय होता है, तो बैंक के लिए बोली रद्द कर दी जाएगी। हालाँकि, अधिनियम की धारा 18ए(7)(ए) के

प्रावधानों (नियामक द्वारा समामेलन/समझौता/व्यवस्था या पुनर्निर्माण की योजना) को लागू करने के मामले में, संशोधित समय-सीमा चयनित सीए फर्म को अलग से सूचित की जाएगी।

8.9.2 डीआईसीजीसी, अपने विवेक से और किसी भी समय एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है और इस आशय के लिखित निर्देश द्वारा सीए फर्म को डीआईसीजीसी के निर्णय के बारे में सूचित कर सकता है। अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में, फर्म लागत प्रभावी, समय पर और व्यवस्थित तरीके से सेवाओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, (फर्म द्वारा रखे गए किसी भी उप-अनुबंध को समाप्त करने सहित)।

8.9.3 परिसमापन के तहत बैंकों के लिए, डीआईसीजीसी, अपने विवेक पर और किसी भी समय एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है और इस आशय के लिखित निर्देश द्वारा सीए फर्म को डीआईसीजीसी के निर्णय के बारे में सूचित कर सकता है।

8.10. विवादों का समाधान

8.10.1 बोलियां और उसके परिणामस्वरूप होने वाला कोई भी अनुबंध भारतीय कानूनों के अनुसार शासित और समझा जाएगा

8.10.2 चयनित बोलीदाता और डीआईसीजीसी के बीच अनुबंध के निर्माण, अर्थ और संचालन या प्रभाव के संबंध में या चयनित बोलीदाता के साथ उत्पन्न होने वाले सभी विवाद या मतभेद, या उसके उल्लंघन को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा। हालाँकि, यदि पक्ष किसी भी विवाद या मतभेद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में सक्षम नहीं हैं, तो दूसरे को लिखित रूप में 30 दिनों का नोटिस जारी करने के बाद, विवाद / मतभेदों की प्रकृति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए, मामले को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने और विवाद / विवादों और मतभेदों के निपटान के लिए / सख्ती से बैंक के बीच निष्पादित आरएफपी, नियुक्ति पत्र या अनुबंध (यदि कोई हो) के नियमों और शर्तों के तहत, दोनों पक्षों को स्वीकार्य एक मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। और बोली लगाने वाला. यदि, एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो विवादों/मतभेदों को संयुक्त मध्यस्थों को भेजा जाएगा, प्रत्येक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ को नामित किया जाएगा और मध्यस्थों को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले एक पीठासीन मध्यस्थ भी नियुक्त करना होगा। मध्यस्थता मुंबई, भारत की अदालतों के विशेष क्षेत्राधिकार के तहत भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

- 8.10.3 निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- 8.10.4 चयनित बोलीदाता द्वारा आरएफपी, नियुक्ति पत्र या अनुबंध (यदि कोई हो) के तहत कार्य मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जारी रखा जाएगा, जब तक कि बैंक द्वारा अन्यथा लिखित रूप में निर्देशित न किया जाए या जब तक मामला ऐसा न हो कि काम तब तक जारी नहीं रखा जा सकता जब तक कि मध्यस्थ का निर्णय, जैसा भी मामला हो, प्राप्त नहीं हो जाता है और जो अन्यथा अनुबंध में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए हैं, उन्हें छोड़कर, बैंक द्वारा बोली लगाने वाले को देय या देय कोई भुगतान नहीं रोका जाएगा। चल रही मध्यस्थता कार्यवाही, यदि कोई हो, जब तक कि यह विषय वस्तु या उसके विषय में से एक न हो।

8.10.5 मध्यस्थता का स्थान मुंबई, भारत में अदालतों के विशेष क्षेत्राधिकार के तहत मुंबई, भारत में होगा।

8.11 बोलीदाता के निष्पादन में देरी दंड

बोलीदाता को दायित्वों के प्रदर्शन के लिए आरएफपी, नियुक्ति पत्र या अनुबंध (यदि कोई हो) में निर्दिष्ट कार्यान्वयन अनुसूची का सख्ती से पालन करना चाहिए और बोलीदाता द्वारा दायित्वों को पूरा करने में देरी डीआईसीजीसी को निम्नलिखित में से किसी एक या सभी का सहारा लेने में सक्षम बनाएगी:

- (i) असंतोषजनक/विलंबित प्रदर्शन के मामले में नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
- (ii) नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट समय-सीमा से परे प्रदर्शन में देरी के मामले में, डीआईसीजीसी के विवेक पर, प्रति दिन 1% का जुर्माना, देय मूल्य का अधिकतम 10% लगाया जा सकता है।

8.12 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

फर्म/कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। यदि, फर्म के कर्मचारी/कर्मचारियों के खिलाफ डीआईसीजीसी के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो शिकायत को फर्म द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा निपटाया जाएगा और फर्म उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। फर्म/कंपनी के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा डीआईसीजीसी के किसी भी कर्मचारी/ग्राहक/आगंतुक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर निगम द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। यदि घटना में सेवा प्रदाता के कर्मचारी शामिल हैं तो फर्म/कंपनी

किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगी, जिसका भुगतान करना आवश्यक हो सकता है, उदाहरण के लिए, यदि सेवा प्रदाता के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो निगम के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत। फर्म/कंपनी अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगी। फर्म/कंपनी अपने उन कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगी जो निगम के परिसर में तैनात हैं।

8.13 आरएफपी के नियमों और शर्तों की पुष्टि

सीए फर्म को फर्म के लेटरहेड पर अनुबंध IV के अनुसार आरएफपी के नियमों और शर्तों की पुष्टि भी जमा करनी होगी।



फॉर्म-1 (तकनीकी बोली) [इसमें परिशिष्ट 1 और 2 तथा अनुबंध 1(ए) के साथ अनुबंध। शामिल है।

अनुबंध। बीमाकृत बैंकों के संबंध में बहियों के सत्यापन के लिए सीए फर्मों के पैनल के लिए तकनीकी बोली

क्रमांक	तकनीकी बोली - पात्रता मानदंड	कृपया निर्दिष्ट	आवश्यक दस्तावेज़
		करें	
1.	आवेदक फर्म को किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक (एससीए) बनने के लिए पात्र होना चाहिए और उसे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैनल		इस संबंध में जारी किया गया प्रमाण पत्र।
	में शामिल होना चाहिए।		
2.	फर्म के अनुभव के वर्षों की संख्या.		फर्म की शाखा/मुख्य कार्यालय का पता: शाखा का नेतृत्व करने वाले पूर्णकालिक साझेदार का नाम: फ़ोन नंबर और ई-मेल: निगमन का वर्ष
3	पूर्णकालिक एफसीए भागीदारों की संख्या		पूर्णकालिक साझेदार का नाम: योग्यता: पता: फ़ोन नंबर और ई-मेल: फर्म के साथ जुड़ने की तिथि विवरण परिशिष्ट 1 के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है
4	सीएंडएजी पैनल पर लगातार वर्षों की संख्या।		वर्षों की संख्या निर्दिष्ट करें.
5	फर्म में कार्यरत योग्य सीए की संख्या।		उपरोक्त संस्था के साथ जुड़ने के बाद से नाम और दिनांक:
6	बैंक लेखापरीक्षा में फर्म का अनुभव।		लेखापरीक्षा करने वाले साझेदार का नाम: लेखापरीक्षित बैंकों की संख्या: (परिशिष्ट 2)
7	बैंकों के लिए दावों के सत्यापन पर डीआईसीजीसी के साथ पूर्व कार्य।		यदि हां, तो इसका ब्यौरा अर्थात बैंक का नाम; असाइनमेंट की अवधि (तारीख से आज तक);

क्रमांक	तकनीकी बोली - पात्रता मानदंड	कृपया निर्दिष्ट करें	आवश्यक दस्तावेज़
8	फर्म को इस आरएफपी के जारी होने तक पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी समय ब्लेक लिस्ट में नहीं डाला गया होना चाहिए /डीआईसीजीसी/आरबीआई या किसी राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/संस्थान या किसी राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित और/या नियंत्रित किसी स्वायत्त निकाय सहित किसी भी केन्द्रीय/राज्य पीएसयू द्वारा जारी निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।		सूचीबद्ध होने के बाद , सीए फर्म वार्षिक आधार पर घोषणा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगी और किसी भी ब्लैकलिस्टिंग / डिबारिंग के मामले में निगम को तुरंत सूचित करेगी।

परिशिष्ट 1 (अनुबंध । के लिए)

फर्म के साझेदारों का विवरण

परिशिष्ट 1						
साझेदारों का विवरण	Г					
	बनने की तारीखें		फर्म में		3.0	
साझेदार का नाम	एसीए	एफसीए	शामिल होने की तिथि	सदस्यता संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव

फर्म की मुहर के साथ फर्म के साझेदार के हस्ताक्षर

बैंक लेखापरीक्षा में फर्म के अनुभव का विवरण

खैंकों/आरबीआई में लेखापरीक्षा में फर्म के अनुभव का विवरण लेखापरीक्षा का प्रकार* बैंक का नाम शाखा (शाखाएँ) कार्य के वर्षों की संख्या वारीख से जारीख तक

*सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षा / सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा / समवर्ती लेखा परीक्षा / आईएस लेखा परीक्षा / डीआईसीजीसी के लिए बैंकों का दावा सत्यापन / केवाईसी लेखा परीक्षा / फोरेंसिक लेखा परीक्षा में अनुभव।

फर्म की मुहर के साथ फर्म के साझेदार के हस्ताक्षर

अनुबंध । (ए)

बीमाकृत बैंकों द्वारा प्रस्तुत जमाकर्ता सूची के संबंध में पुस्तकों के ऑनसाइट सत्यापन/प्रमाणन के लिए सीए फर्म के पैनल के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण फर्म का नाम 2 पुरा डाक पता भारत में संचालित शाखाओं का विवरणः (i) पता: (ii) शाखा का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम (कृपया यह भी बताएं कि वह भागीदार है या नहीं) (iii) ईमेल आईडी (iv) फ़ोन नंबर: (v) क्या यह प्रधान कार्यालय या शाखा है 3 फर्म के मुख्य कार्यालय का ईमेल पता और टेलीफोन नंबर 4 फर्म की स्थापना की तिथि 5 31 मार्च 2024 तक भारत में अभ्यास करते हुए पूरे किए गए वर्षों की संख्या 6 जीएसटीआईएन 7 फर्म पंजीकरण सं 8 स्थायी खाता संख्या (पैन) मैं घोषणा करता हूं कि:

(क) फर्म/फर्म से जुड़े साझेदारों को आईसीएआई/आईसीएमएआई द्वारा शुरू की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही (पिछले 3 वर्षों के दौरान) के लिए दंडित नहीं किया गया है और आवेदन की तिथि तक फर्म/फर्म से जुड़े साझेदारों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है ;

(ख) इस आरएफपी के जारी होने तक पिछले तीन वर्षों के दौरान फर्म/फर्म के साझेदारों को कभी भी प्रतिबंधित सूची में नहीं डाला गया है/ डीआईसीजीसी/आरबीआई या किसी राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/संस्थान या किसी राज्य/केन्द्र सरकार/किसी अन्य नियामक संस्था द्वारा वित्तपोषित और/या नियंत्रित किसी स्वायत्त निकाय सिहत किसी भी केन्द्रीय/राज्य सार्वजिनक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जारी निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं किया गया है।

(ग) हम वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक या निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) सिहत भारतीय रिजर्व बैंक की किसी सहायक कंपनी के सांविधिक / सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक / समवर्ती लेखा परीक्षक / परामर्शदाता नहीं हैं।

इस संबंध में डीआईसीजीसी का निर्णय अंतिम होगा।

फर्म की मुहर के साथ फर्म के साझेदार के हस्ताक्षर

नियुक्ति के लिए सांकेतिक संदर्भ शर्तें (टीओआर)

- 1. यदि आवश्यक हो तो बैंक के मुख्यालय और उसकी सभी शाखाओं में स्थित बैंक की बहियों और अभिलेखों का ऑनसाइट सत्यापन करना और यह प्रमाणित करना कि बैंक/परिसमापक/हस्तांतरिती बैंकों द्वारा तैयार/प्रस्तुत की गई जमाकर्ता सूची में बैंक के पात्र जमाकर्ताओं के नाम शामिल हैं और यह डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 (समय-समय पर संशोधित) और निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार है। इसमें जमाकर्ता के नाम पर शुद्ध बकाया जमा राशि (मूलधन और कट-ऑफ तारीख तक अर्जित ब्याज घटा ऋणों का सेट-ऑफ, यदि कोई हो) के सत्यापन और पृष्टि के साथ-साथ जमाकर्ता के केवाईसी अभिलेखों और/या इच्छा प्रपत्रों का सत्यापन/ऑडिट भी शामिल होगा।
- 2. यह सत्यापित करना कि जमाकर्ता सूची में बैंकों, केंद्र/राज्य सरकार के खातों आदि जैसे जमाकर्ताओं के संबंध में दावे शामिल नहीं हैं, जो डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 2(जी) के अनुसार जमा बीमा कवर के लिए पात्र नहीं हैं।
- 3. यह सत्यापित करना कि बैंक ने कट-ऑफ तिथि के अनुसार जमाकर्ता सूची तैयार करते समय और जमाकर्ताओं को भुगतान करने से पहले अपने ऋण, अग्रिम और अन्य बकाया की वसूली के संबंध में सेट-ऑफ के अधिकार का प्रयोग किया है, जैसा कि डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 (3) में प्रावधान है।
- 4. यह पता लगाने के लिए कि क्या बैंक ने डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और इस संबंध में डीआईसीजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी जमाकर्ताओं के जमा खातों को 'समान अधिकार और समान क्षमता' में क्लब करने का काम किया है। सत्यापन के दौरान, यदि आवश्यक हो, तो किसी भी अतिरिक्त क्लबिंग की भी अलग से रिपोर्ट की जा सकती है।
- 5. प्रत्येक जमाकर्ता के केवाईसी रिकॉर्ड को सत्यापित करना और यह पता लगाना कि क्या डीआईसीजीसी से जमा बीमा दावों का दावा करने के लिए जमाकर्ता की सम्मित प्राप्त की गई है (धारा 18 ए के तहत प्रस्तुत दावों के मामले में)।
- 6. यह सत्यापित करना और रिपोर्ट करना कि क्या बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सिमितियों पर लागू) की धारा 35-ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी किए गए निर्देशों का पालन किया है, यदि कोई हो और क्या इस अविध के दौरान बैंक द्वारा जमाकर्ता के खाते से कोई निकासी की अनुमित दी गई थी या ऐसे निर्देश लागू होने पर कोई नकद पुनर्भुगतान स्वीकार किया गया

- था। जिन जमाकर्ताओं ने अनुमत निकासी और/या नकद पुनर्भुगतान किया है, उनकी सूची अलग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 7. सीए फर्म को यह सत्यापित करना आवश्यक है कि क्या बैंक ने अन्यथा देय राशि से अधिक राशि का दावा करने के लिए कोई लेनदेन किया है, सदस्यों की शेयर पूंजी राशि को कट-ऑफ तिथि के बाद जमा खातों में स्थानांतिरत किया गया था, क्या बैंक ने कट-ऑफ तिथि पर कारोबार बंद होने तक खातों की बिहयों को बंद कर दिया था, क्या बैंक द्वारा किसी विशेष खाते में जमा की गई कुल राशि को नए खाते खोलकर / या कट-ऑफ तिथि के बाद मौजूदा खातों में विभाजित करके खातों का कोई पुनर्गठन किया गया था। इस संबंध में निष्कर्ष / टिप्पणियां निगम को अलग से रिपोर्ट की जानी चाहिए।
- 8. जिन फर्मों को एआईडी के तहत रखे गए किसी बैंक का सत्यापन कार्य आवंटित किया जाता है, उन्हें डीआईसीजीसी के पूर्ण विवेक पर सत्यापन जारी रखने की अनुमित दी जा सकती है, जब संबंधित बैंक को बाद में आरबीआई द्वारा परिसमापन के तहत रखा जाता है। कार्य में निरंतरता एआईडी के तहत बैंकों की जमाकर्ताओं की सूची के सत्यापन के लिए पहले से ही सहमत पेशेवर शुल्क लेने के संबंध में स्वीकृति प्रस्तुत करने और संबंधित फर्म द्वारा संशोधित दिशानिर्देशों (जैसा कि परिसमाप्त बैंकों पर लागू होता है) का पालन करने के अधीन होगी।
- 9. डीआईसीजीसी किसी भी सूचीबद्ध सीए फर्म को असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में या निगम की सिमित द्वारा निर्धारित किसी अन्य आधार पर पैनल से हटाने/वित्तीय बोलियों में भाग लेने से रोकने/ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 10. डीआईसीजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में डीआईसीजीसी को सत्यापन रिपोर्ट की डिजिटल हस्ताक्षरित और विधिवत हस्ताक्षरित प्रिंट कॉपी प्रस्तुत करना। डीआईसीजीसी द्वारा बताई गई साइट पर सत्यापन और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 11. सीए फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि वह किसी भी तरह से दावा सूची तैयार करने में शामिल नहीं होगी।
- 12. बोली के सत्यापन/प्रमाणन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश बोली की स्वीकृति के बाद भेजे जाएंगे।
- 13. डीआईसीजीसी को पैनल के कार्यकाल के दौरान नियमों एवं शर्तीं तथा कार्य के दायरे को संशोधित करने, बदलने या हटाने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा वह उचित समझे।

(उपर्युक्त सूची समावेशी है तथा संपूर्ण नहीं है, अर्थात संदर्भ की शर्तों में दावों के सत्यापन के लिए प्रासंगिक व्यावसायिक सहायता प्रदान करना भी शामिल होगा)

अनुबंध III बीमाकृत बैंकों के संबंध में पुस्तकों के ऑनसाइट सत्यापन के लिए सीए फर्म के पैनल के लिए तकनीकी मूल्यांकन

क्रमांक	तकनीकी बोली	अंकन का अ	ाधार	
अनिवार्य मानदंड				
1.	इस आरएफपी के जारी होने तक पिछले 3 वर्षों के दौरान फर्म को कभी भी ब्लैकलिस्ट/डिबार नहीं किया जाना चाहिए। डीआईसीजीसी/आरबीआई या किसी राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/संस्थान या किसी राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित और/या नियंत्रित किसी स्वायत्त निकाय सहित किसी भी केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जारी निविदा में भाग लेने से।	आवश्यक दस्तावेज - फम् विधिवत हस्ताक्षरित लेटर है पैनल में शामिल होने के बात साल इसी तरह की घोषणा प्रस् भी ब्लैकलिस्टिंग / डिबारिंग वे तुरंत सूचित करने की जिम्मेद	हेड पर स्व-घोषणा। द, सीए फर्म को हर ज़ुत करने और किसी ह मामले में निगम को	
2.	संबंधित फर्म/भागीदार को किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए (पिछले 3 वर्षों के दौरान) और आवेदन की तिथि तक उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए।		त हस्ताक्षरित लेटर	
3.	वे फर्में जो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की किसी सहायक कंपनी जैसे कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक / सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक / समवर्ती लेखा परीक्षक / सलाहकार हैं, आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगी।	फर्म के साझेदार द्वारा विधिव हेड पर स्व-घोषणा।	वत हस्ताक्षरित लेटर	
पात्रता म				
4.	फर्म का अनुभव – वर्षों की संख्या	जानकारी आवश्यक पंजीयन प्रमाणपत्र; अंकन का आधार:		
			अंक	
		10 वर्ष से कम	0	
		10-15 वर्ष	5	
		16-20 वर्ष	10	
		20 वर्ष से ऊपर	15	

		अधिकतम अंक -15	
5.	पूर्णकालिक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट (एफसीए) पार्टनर्स	जानकारी आवश्यक 1. पूर्णकालिक साझेदार/पूर्णकालिक नामः 2. योग्यताः 3. पताः 4. फ़ोन नंबर और ई-मेलः 5. योग्यता प्राप्ति के बाद फर्म में शा तिथिः अंकन का आधारः फर्म में योग्यता के बाद का अनुभव रखने वाले पूर्णकालिक पूर्ण साझेदारों/पूर्णकालिक कर्मचारी की संख्या	
		3 से कम	0
		3-5	5
		6-8	10
		8 से ऊपर	15
		अधिकतम अंक-15	
6.	प्रमुख पेशेवर कर्मचारी – पूर्णकालिक सीए	अंकन का आधार:	निअंक
	कर्मचारी	2 CA से कम	0
		2 से 5 सीए	5
		6 से 10 सीए	10
		10 से अधिक CA	15
		अधिकतम अंक -15	
7.	फर्म के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सहकारी बैंकों के लेखापरीक्षण का तीन वर्ष से अधिक का अनुभव होना चाहिए।	जानकारी आवश्यक 1. लेखापरीक्षित पीएसबी/सहव नाम; 2. नियुक्ति की तिथि और नियु अंकन का आधार: पीएसबी/सहकारी बैंक का	
		ऑडिट – बैंकों की संख्या	
		3 वर्ष से कम	0
		3 वर्ष – 10 वर्ष	10
		10 वर्ष से ऊपर	20
		अधिकतम अंक -20	

8.	डीआईसीजीसी द्वारा नियुक्ति के पश्चात बैंकों की दावा सूची का सत्यापन	जानकारी आवश्यक 1. इसकी पुष्टि करने वाला नियुक्ति पत्र संलग्न किया जाए।
		अधिकतम अंक-15

अनुबंध -।٧ - नियम एवं शर्तों की पुष्टि

नियम एवं शर्तों की पुष्टि

(बोलीदाता के लेटरहेड पर)

मुख्य महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई, महाराष्ट्र - 400008

महोदय,

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) बीमाकृत बैंकों की दावा सूची और अभिलेखों की पुस्तकों के ऑनसाइट सत्यापन/प्रमाणन के लिए सीए फर्मों का पैनल बनाना

दिनांकके हमारे प्रस्ताव के आगे, डीआईसीजीसी द्वारा जारी बीमित बैंकों की दावा सूची और अभिलेखों बहियों (जिसे आगे आरएफपी कहा जाएगा) के सत्यापन/प्रमाणन के लिए सीए फर्मों को सूचीबद्ध करने हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) के प्रत्युत्तर में , हम इसके द्वारा निम्नानुसार वचनबद्धता, वारंटी और पृष्टि करते हैं: हम आरएफपी और संबंधित परिशिष्टों, अन्य दस्तावेजों और यदि आवश्यक हो तो डीआईसीजीसी द्वारा जारी मूल बोली दस्तावेजों में किए गए परिवर्तनों सहित सभी नियमों और शर्तों/अनुबंधों का पालन करने के लिए सहमत हैं, बशर्ते कि केवल प्रासंगिक अनुबंध में हमारे द्वारा प्रस्तुत विचलनों की सूची। जिसे डीआईसीजीसी द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है और हमें लिखित रूप में सूचित किया जाता है, उपरोक्त आरएफपी दस्तावेज का एक वैध और बाध्यकारी हिस्सा होगा। डीआईसीजीसी किसी भी अन्य बाह्य मामले या विचलन से बाध्य नहीं है, भले ही हमारे द्वारा हमारे प्रस्ताव में या हमारे द्वारा मांगे गए किसी भी बाद के विचलन में, मौखिक रूप से या लिखित रूप में उल्लेख किया गया हो, और डीआईसीजीसी का ऐसी किसी भी बाहरी शर्त और विचलन को स्वीकार न करने का निर्णय अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पदनाम

बोलीदाता का कॉर्पोरेट नाम

अनुबंध ٧

ई- निविदा के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश

यह निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-खरीद सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि ई-निविदा आमंत्रण सूचना और उसके बाद जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई है, को अपनी ऑन लाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। जो निविदाकर्ता दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का अनुपालन नहीं करेंगे, उन्हें मूल्य बोली खोलने के लिए निविदा में अईता प्राप्त नहीं होगी।

1. ई-टेंडर की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इंटरनेट पर तकनीकी बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पी.सी. से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था करनी है। एमएसटीसी/डीआईसीजीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: तकनीकी बोली केवल www.mstcecommerce.com/eproc (संस्करण 3) पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है।

1) विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान की गई उनकी ईमेल में उनके पंजीकरण की पृष्टि करने वाला सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया डीआईसीजीसी, एमएसटीसी से (ई-टेंडर के निर्धारित समय से पहले) संपर्क करें। संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फोन नंबर :07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)

उपलब्धता

श्री तन्मय सरकार, उप प्रबंधक: 7651915418/8349894664 — wroopn11@mstcindia.in सभी तकनीकी मुद्दों जैसे ई-टेंडर, सिस्टम सेटिंग आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

Contact person (DICGC):

Shri Sumit Kumar, Manager

Mobile No: 7903555296 Email id: sumitk@rbi.org.in

Shri Prithviraj Harish, Manager
 Mobile No: 7259795311 Email id: prithvirajh@rbi.org.in

संपर्क व्यक्ति (DICGC):

• श्री सुमित कुमार, प्रबंधक

मोबाइल नंबर: 7903555296 ईमेल आईडी: sumitk@rbi.org.in

• श्री पृथ्वीराज हरीश, प्रबंधक

मोबाइल नंबर: 7259795311 ईमेल आईडी: prithvirajh@rbi.org.in

विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com/eproc पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है

विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर सबिमट करें। अधिक जानकारी के लिए, सिस्टम सेटिंग्स (डैशबार पर) डाउनलोड गाइड/वीडियो/पंजीकरण गाइड पर जाएं।

बी) सिस्टम आवश्यकताः

- i) विंडोज एक्सपी-एसपी3 और उससे ऊपर/विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम
- ii) IE-7 और उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र।
- iii) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
- iv) जेआरई 7 अपडेट 9 और उससे ऊपर के सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है।

सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने और टूल्स→इंटरनेट विकल्प→ कस्टम स्तर के अंतर्गत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए

अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता www.mstcecommerce.com/eproc पर उपलब्ध विक्रेता गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न का संदर्भ ले सकता है

 तकनीकी बोली आरएफपी दस्तावेज़ में दी गई निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी।

3.	ई-निविदा में सभी प्रविष्टियाँ बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी बोली प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए।
4.	लेनदेन शुल्क के प्रति विशेष नोट:
	लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी साइट पर ऑनलाइन है
	लेनदेन शुल्क के भुगतान के लिए, विक्रेता को विक्रेता लॉगिन में "लेनदेन शुल्क" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यहां विक्रेता उस विशेष ई-निविदा का चयन कर सकता है जिसमें वे भाग लेना चाहते हैं।
	ध्यान दें: बोलीदाताओं को ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले ही लेनदेन शुल्क जमा करना चाहिए क्योंकि एमएसटीसी द्वारा लेनदेन शुल्क प्राप्त होने के बाद ही उन्हें बोली जमा करने के लिए सक्रिय किया जाएगा।
	बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि लेनदेन शुल्क केवल बोलीदाता के खाते से डेबिट करके जमा किया जाना चाहिए; किसी अन्य पक्ष के खाते से जमा किया गया या डेबिट किया गया लेनदेन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेनदेन शुल्क वापसी योग्य नहीं है.
	किसी भी कारण से लेनदेन शुल्क का भुगतान करने में विफलता के मामले में, विक्रेता के पास ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।
5.	विक्रेताओं को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए मेरे मेनू में दस्तावेज़ अपलोड करें लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं. अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।
	एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता विशेष ई-टेंडर के विरुद्ध अटैच डॉक्यूमेंट लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-निविदा के साथ संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें डीआईसीजीसी द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता गाइड के निर्देशों का पालन करें।
6.	डीआईसीजीसी के साथ-साथ एमएसटीसी (ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता) द्वारा ई-निविदा को अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं को सभी नोटिस और पत्राचार केवल ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे। इसलिए बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रदान किया गया उनका ईमेल पता एमएसटीसी (यानी सेवा प्रदाता) के साथ विक्रेता के पंजीकरण के चरण में वैध और अद्यतन है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

(i) (i) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ई-टेंडर खोलने की नियत तारीख से पहले एक बार फिर से 7. वेबसाइट देखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ई-टेंडर दस्तावेज़ डाउनलोड करने के बाद उन्होंने उक्त ई-टेंडर के खिलाफ अपलोड किए गए किसी भी शुद्धिपत्र को नहीं छोड़ा है। संबंधित शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, डाउनलोड करने की जिम्मेदारी केवल बोलीदाताओं की होगी। (ii) (ii) इस आरएफपी के शुद्धिपत्र के संबंध में कोई अलग सूचना (यदि कोई हो) उन निविदाकारों को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेब साइट से दस्तावेज़ डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eproc देखें। आरएफपी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा तक नहीं पहुंचा जा सकता है। 8. ई-टेंडर में बोली लगाना 9 क) इस प्रक्रिया में तकनीकी बोली जमा करना शामिल है। बी) बोलीदाता जो एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com \rightarrow ई-प्रोक्योरमेंट \rightarrow कॉमन पोर्टल \rightarrow बिड फ्लोर मैनेजर \rightarrow लाइव इवेंट \rightarrow लाइव इवेंट का चयन \rightarrow तकनीकी बोली में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोलियां जमा कर सकते हैं। ग) बोली लगाने वाले को एन एप्लेट नाम से एक एप्लिकेशन चलाने की अनुमित देनी चाहिए। जोखिम स्वीकार करके और रन पर क्लिक करके। बोली मंजिल पर पहुंचने के तुरंत बाद यह अभ्यास दो बार करना होगा। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है, तो बोलीदाता अपनी बोली सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा। (विवरण के लिए विक्रेता गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें)। घ) सबसे पहले विक्रेता को तकनीकी विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और उसे सहेजना होगा। फिर विक्रेता को तकनीकी बोली भरनी चाहिए। तकनीकी बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाने पर, बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी बोली सहेजे जाने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है । ध्यान दें: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "डिलीट बिड" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम रूप से जमा करने के बाद बोली को हटाना चाहता है और फिर से बोली जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबिमट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबिमशन पर क्लिक करना चाहिए। क) सभी मामलों में, बोली लगाने वाले को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। ख) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए भी पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे। ग) ई-टेंडर फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर बताई गई अवधि तक खुला रहेगा।

	घ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोली लगाने वाले पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली माना जाएगा और क्रेता द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए क्रेता और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।
	ड.) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
	च) खरीदार के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।
	छ) ई-निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोली लगाने वाले द्वारा ई-टेंडर फ्लोर में बोली जमा करना ई-टेंडर के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।
10.	इस खुली ई-निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
11.	तकनीकी नियमों एवं शर्तों से विचलन की अनुमित नहीं है।
12.	डीआईसीजीसी को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली(ओं) की प्राप्ति की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
13.	ऑनलाइन ई-निविदा वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eproc में निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
14.	बोलीदाताओं को आरएफपी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किया गया कोई भी अन्य दस्तावेज़ जो आरएफपी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
15.	भरे हुए तकनीकी प्रारूपों के आधार पर बोली का मूल्यांकन किया जाएगा।
16.	बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो दोषी बोलीदाताओं की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। चूक करने वाले बोलीदाताओं के खिलाफ व्यवसाय के निलंबन और प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है

उपरोक्त प्रक्रिया केवल सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्य के लिए सूचित की गई है और बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे www.mstcecommerce.com/eproc वेबसाइट से नवीनतम निर्देशों की जांच करें।





निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

पपूर्ण स्वामत्व वाला सहयोगा (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of Indi: - WWW.dicgc.org.in -

Ref. CO.DICG.CSD.No.S 1587 /05-02-482/2024-2025

October 14, 2024

To

Chartered Accountant Firms
(CAG empaneled SCAs for FY 2024-25)

Tender for Empanelment of CA firm for onsite verification / certification of claim list and books of records of insured banks - Expression of Interest

DICGC, a wholly owned subsidiary of the RBI, settles deposit insurance claims of eligible depositors (of Liquidated/ Placed under AID/ Transferee banks) in terms of provisions of the DICGC Act, 1961 as amended from time to time. For this purpose, the Corporation appoints Chartered Accountant (CA) firms for verification / certification of depositor list and books of records of insured banks, which involves on-site verification and submission of report to DICGC.

- 2. <u>Purpose of bids</u>: In compliance to Section 17, Section 18 of DICGC Act, 1961 and Section 18A inserted by the DICGC (Amendment) Act 2021, the Corporation invites bids from the CA firms empaneled with the C&AG of India as Statutory Central Auditors (SCAs) for the FY 2024-25, except those which are currently Statutory / Statutory Branch Auditors / Concurrent auditors of RBI / or any subsidiary of RBI including DICGC. The decision of the DICGC in this regard shall be final. This panel would be used to invite bids for any bank for whom liability would be required to be met under Section 17, Section 18 or Sec 18 A of the Act *ibid*.
- 3. <u>Mode of submission</u>: The bids are invited through the portal of MSTC i.e., www.mstcecommerce.com/eprocn. The Bid shall contain details regarding various technical particulars of the proposal as given in Annexure I of Technical bidding Form 1 along with appendices 1 & 2, Annex I A and (Annexure II) (scanned copy with seal of the firm and signature of the authorized official/person), naming "Technical Bidding Empanelment of CA Firms for insured banks ..Name of Firm.... (Please indicate abbreviation of Firm's name) so as to upload not later than 17:00 hrs on November 08, 2024.

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400008 दूरभाष : 23084121 Ext :2213, 2216_फैक्स: 022-23018165, 23015662, 23021131, ई-मेल : dicac@rbi.org.in

- 3.1 The quotations should be uploaded within the stipulated timelines and DICGC will have the sole discretion to grant any extension of timelines or modify any terms. The incomplete bids received within the stipulated timeframe and the bids received after the timeframe shall be rejected by DICGC. Incomplete bids would mean that bids are received within the timeframe but not filled in completely.
- 4. The technical bids shall be opened on at 12:00 hrs on November 11, 2024 or as decided by DICGC. After finalization of internal scrutiny process, an empanelment letter shall be issued to all the selected firms (through email). The firms selected for the empanelment are required to confirm the acceptance and submit a confidentiality undertaking within 02 days or as indicated in the offer letter.
- **5.** It is pertinent to note that the said empanelment is for three years for the purpose (reviewed every year) as shall be specified in the empanelment letter to be issued and is subject to satisfactory performance, at the DICGC's sole discretion. DICGC reserves the right to disengage the services of the firm (Please refer para 4.16) in case of unsatisfactory performance during the tenure which includes deliberate/intentional low bids to corner contract unsatisfactory performance/ late/ delayed performance of verification work. Corporation reserves the right to debar CA firms based on their unsatisfactory performance, from participating in financial bids as decided by the Competent Authority.

The DICGC shall provide assistance to the CA firms with respect to the data /information to be obtained from banks allotted to them.

6. An indicative <u>'Terms of reference (TOR)'</u> for appointment of CA' are annexed (Annexure II) for reference. It may be noted that the quotation for the said work shall include all charges in terms of claim verification/ certification of depositor list which also includes KYC verification to ascertain the traceability of the depositor for payment of claims by the Corporation and verifying the willingness of depositors to receive insurance claim amount from DICGC (for banks placed under AID). As the payment to depositors who are willing to receive the insured amount have to be made within the statutory time limits (45 days of receipt) and in the format prescribed by DICGC from time-to-time, it is emphasized that verification and certification process has to be completed within the period specified by the Corporation at the time of issuance of work order. The CA Firms while applying must ensure that they have the <u>adequate experienced manpower</u> to carry out the task in a timely manner.

7. Financial bids: Whenever the Corporation becomes liable to make payment of deposit insurance claims to any bank, the financial bids will be invited from the empaneled CA firms, wherein, the empaneled CA firms shall be required to submit the financial bid within 7 days or as decided by Corporation. These firms should immediately furnish the confidentiality agreement and commence onsite verification process as per procedure specified at the time of inviting tender. The selection of CA firms from the panel will be based on L1 (lowest) quote as decided by a committee formed for the purpose. In case two or more CA firms are tied at L1 quote, the Committee may select the CA firm based on the score of the firm in the technical bid submitted at the time of empanelment. (A tie breaker mechanism has been devised by Corporation wherein, if a firm is found emerging as L1 bidder for more than one bank in the lot (in case of bids being called for more than one bank), the said firm would be allotted the bank having maximum number of deposit accounts amongst the said banks and Corporation will allot the other bank/s to L2 / L3 / L4 bidder as the case may be). The decision of the Committee in this regard shall be final and binding.

Further, if an empaneled CA firm wishes to participate in fresh bids for insured banks while already having a verification work allotted to it, it may do so, provided, it submits an undertaking that there is sufficient staff available with the firm to undertake the new job concurrently without compromising on the quality of job and compliance with timelines.

8. Please note that in case of verification/certification of records and deposit insurance claims of insured banks the depositor list will be prepared by the liquidator/CEO/authorized person and submitted to CA firm. The Part A of the list comprises the traceable depositors (willingness on record for banks under AID and KYC on record for banks under liquidation) of the bank and Part B list comprises of the untraceable depositors. These two lists together constitute the deposit insurance liability of the corporation towards the bank and must be verified in entirety by the CA firm. The outstanding deposit liability will be certified by the Statutory Auditor of the bank (or any other procedure that would be advised by DICGC). The CA verification will also include certification of the <u>liquid funds position</u> of the bank (based on trial balance/audit confirmation/CEO's certification verified from actual books) along with claim verification report (as directed by Corporation). The CA firm is required to verify the genuineness and authenticity and balances of the part B list.

The CA firm is required to verify whether the bank undertook any transactions to claim more amount than otherwise due, whether share capital amount of members was transferred to deposit accounts post cut-off date, whether the bank had closed the books of accounts by the close of

business on the cut-off date, whether any restructuring of accounts was carried out by the bank by splitting the total amount of deposits in a particular account by opening new accounts / or into existing accounts post the cut-off date. Findings / observations in this regard are to be reported separately to the Corporation.

The hard copies of relevant physical records (inclusive of but not limited to FDR, Account opening forms etc) / limited CBS read access shall be made available to the CA firm at the Head Office of the bank.

9. As per current estimates, the indicative fees payable to CA firm could vary between Rs.10 to Rs.12 per depositor, excluding applicable taxes. The rates are purely indicative, and firms are advised to make their own analysis before submitting the bids, any further representation after acceptance of financial bids shall not be considered. Corporation may consider giving a minimum assured fee to CA firms in cases where the number of depositors is below a certain figure as decided by the Corporation. It is informed that the quotes must be submitted depositor-wise and not account-wise. It may be noted that the terms 'Number of Accounts' and 'Number of Depositors' are different. For example, if depositor 'X' has Saving Bank account, Recurring Deposit account and Fixed Deposit account, the charges will be paid for one depositor only irrespective of the number of accounts in their name. DICGC may, if needed, consider paying incidental charges over and above the accepted price to cover the additional costs incurred for audit when the CA firm does not have any office in the state in which the bank is headquartered but has been selected based on financial bids (not exceeding 15% of total bill value).

Please note that in case a CA firm is appointed for verification work for a bank placed under AID, the Corporation shall extend the offer to the same CA firm for verification work if the bank is placed under liquidation subsequently. The offer shall be contingent on the CA firms' acceptance to the assignment on same terms, conditions and per depositor rate as was agreed when the bank was under AID.

- **10.** The CA firm should abide by the guidelines furnished in the RfP document and appointment letter and any further guidelines issued by Govt. of India, RBI and DICGC from time to time including timely GST payment (by the firm) and reflection of same on GST portal. In case of need the firm would be advised to produce the copies of such documents secured during verification.
- **11.** DICGC reserves the right to reject any or all the applications without assigning any reason and will not entertain any further correspondence in the matter. It is emphasized that

empanelment of the firm by DICGC does not entail assurance of employment. The firms will be engaged as and when the need for the services of the firm arises.

Yours faithfully,

Sd/-

(पवनजीत कौर ऋषि/ Pawanjeet Kaur Rishi) उप महाप्रबंधक/ Deputy General Manager Encl: As stated



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

Request for proposal for Empanelment of CA firms for onsite verification / certification of claim list and books of records of insured banks for 2024-27

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम



Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation www.dicgc.org.in

Office: Reserve Bank of India Building, Second Floor,
(Opp. Mumbai Central Railway Station), Byculla, Mumbai, Maharashtra – 400008

This document is the property of DICGC. It may not be copied, distributed or recorded on any medium, electronic or otherwise, without DICGC's written permission. Use of contents given in this document, even by the authorised personnel / agencies for any other purpose other than the purpose specified herein, is strictly prohibited as it shall amount to copyright violation and thus shall be punishable under the Indian Law.

Table of Contents

Sr.No	Description	Page Nos
1.0	Request for proposal	3-3
2.0	Proposal through MSTC	3-3
3.0	Important Bidding Information Summary	3-4
4.0	Introduction and disclaimers	
4.1	Purpose of RfP	4-4
4.2	Information Provided	5-5
4.3	Disclaimer	5-5
4.4	Costs to be borne by Respondents	5-5
4.5	No Legal Relationship	5-5
4.6	Respondent Obligation to Inform Itself	6-6
4.7	Evaluation of Offers	6-6
4.8	Maintaining Secrecy and Confidentiality	6-6
4.9	Errors and Omissions	6-6
4.10	Acceptance of Terms	6-6
4.11	Lodgement of RfP	6-7
4.12	Quote Reference	7-7
4.13	Communication in respect of queries relating to RfP	7-8
4.14	Notification	8-8
4.15	Debarment of firm from Bidding	8-9
4.16	Norms for removal of CA Firm from Empanelled list	9-9
4.17	Deployment	9-9
5.0	Tenure	9-10
6.0	Selection Process	10-11
7.0	Technical Evaluation	11-12
8.0	General Guidelines & Instructions	12-13
8.1	Government Tax	13-13
8.2	Alterations to Tenders	13-13
8.3	Letters and Declaration to Accompany Tenders	13-13
8.4	Participation in Tender	13-13
8.5	Conflict of Interest	13-13
8.6	Undertaking	13-14
8.7	Indemnity	14-14
8.8	Assigning to Others	14-14
8.9	Termination	14-14
8.10	Resolution of Disputes	15-16
8.11	Delays in Bidder's Performance- Penalties	16-16
8.12	Sexual Harassment of Women at work place	16-16

8.13	Confirmation to terms and conditions of RfP	17-17
	Annexures	

1 Request for Proposal

Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation (DICGC) invites technical responses to this Request for Proposal ("RfP") from reputed eligible CA firms for **Empanelment of CA firm for onsite verification / certification of depositor list and books of records of the insured banks**. The CA firms should have enough competence to audit the books of the banks and enough manpower (required number of CAs/Qualified Assistants/Officials) to complete the assignment within timelines.

2. Proposal through MSTC

The bids shall be submitted through e-tendering mode only. The terms and conditions for e-tendering are detailed in Annexure V and major points are enumerated as under:

- a. The DICGC has entered into an agreement with MSTC Ltd. for e-tendering services. The bidder is expected to register themselves on the MSTC Ltd. Ecommerce Web portal. The bidder is expected to have a Digital certificate with encryption and signing rights. The vendor registration on the MSTC Ltd. Ecommerce Web portal is present on the MSTC website.
- b. It is the bidder's responsibility to register on the MSTC Ltd. Ecommerce Web portal and obtain the necessary digital certificate.
- c. The DICGC shall upload the entire RFP with annexes on the MSTC Ltd. Ecommerce Web portal (http://www.mstcecommerce.com/eprochome/DICGC)
- d. For participation in bidding process the bidder will have to pay the requisite amount to MSTC as decided by them.

3.0 Important Bidding Information Summary:

Purpose	Particulars
Cost of Bidding Document	No cost has been prescribed for the Bidding Document.
Last Date and time of Submission of bids	November 08, 2024 at 17:00 hrs

Purpose	Particulars
Last Date for seeking clarifications on RfP	Clarifications, if any, regarding RfP may be sought only through e-mail to: dicgcbids1@rbi.org.in not later than 17:00 hrs on October 31, 2024.
Bid Validity	The proposal must remain valid and open for evaluation for a period of at least twenty-one days (21 days) from the time the RfP closes.
Address for submission of Bids	Via MSTC portal only.
	Important dates
Starting of acceptance of bids in MSTC	October 14, 2024 at 17:00 hrs
Last Date and time of Submission of bids	November 08, 2024 at 17:00 hrs
Opening of Technical Bids	November 11, 2024 at 15:00 hrs or as decided by DICGC. The same will be communicated to bidders
Acceptance of Offer	Within 02 days or as indicated in the offer letter

Note: All the information as required under this RfP needs to be provided. Proposal submitted with incomplete information is liable to be rejected. DICGC's decision in this regard will be final and binding. The RfP is also hosted on DICGC website http://www.dicgc.org.in under the link "Tender Notices". **DICGC reserves the right to change the dates as mentioned above.** Bidders must check the website before submitting response to RfP.

4. Introduction and Disclaimers

4.1 Purpose of RfP

The purpose of RfP is to "empanel CA firms for onsite verification / certification of depositor list and books of records of insured banks". The firm must have experience in audit of PSBs / co-operative banks. The CA Firm should have competence to verify the books of records and claims of depositors of insured banks through onsite verification and submission of reports to DICGC in the format provided by DICGC, within specified time limits as per guidelines issued by DICGC.

4.2 Information Provided

The Request for Proposal (RfP) document contains statements derived from information that is believed to be relevant at the date but does not purport to provide all the information that may be necessary or desirable to enable an intending contracting party to determine whether to enter into a contract or arrangement with DICGC. While every effort has been made to provide comprehensive background information and requirements and specifications, neither DICGC nor any of its employees, agents, contractors, or advisors give any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any information or statement given or made in this document. Neither DICGC nor any of its employees, agents, contractors, or advisors has carried out or will carry out an independent audit or verification exercise in relation to the contents of any part of the document.

4.3 Disclaimer

Subject to any law to the contrary, and to the maximum extent permitted by law, DICGC and its officers, employees, contractors, agents, and advisors disclaim all liability from any loss or damage (whether foreseeable or not) suffered by any person acting on or refraining from acting because of any information including forecasts, statements, estimates, or projections contained in this RfP document or conduct ancillary to it whether or not the loss or damage arises in connection with any negligence, omission, default, lack of care or misrepresentation on the part of DICGC or any of its officers, employees, contractors, agents, or advisers.

4.4 Costs to be borne by Respondents

All costs and expenses incurred by Respondents in any way associated with the development, preparation, and submission of responses, including but not limited to the attendance at meetings, discussions, demonstrations etc. and providing any additional information required by DICGC, will be borne entirely and exclusively by the Respondent.

4.5 No Legal Relationship

No binding legal relationship will exist between any of the Respondents and DICGC until execution of a contractual agreement.

4.6 Respondent Obligation to Inform Itself

The Respondent must conduct its own investigation and analysis regarding any information contained in the RfP document and the meaning and impact of that information.

4.7 Evaluation of Offers

Each respondent acknowledges and accepts that DICGC may in its absolute discretion apply selection criteria specified in the document for evaluation of proposals for short listing / selecting the eligible vendor (s). The RfP document will not form part of any contract or arrangement, which may result from the issue of this document or any investigation or review, carried out by a recipient.

4.8 Maintaining Secrecy and Confidentiality

The respondent shall be liable to maintain secrecy and confidentiality of all the information / data / operations, etc. of DICGC. The empaneled CA firms will be required to execute a confidentiality agreement to the Corporation when advised for the same.

4.9 Errors and Omissions

The respondent should notify DICGC of any error, omission, or discrepancy found in its RfP document by October 31, 2024.

4.10 Acceptance of Terms

A respondent will, by responding to DICGC for RfP, be deemed to have accepted the terms of this Introduction and Disclaimer and will be required to submit signed copy of acceptance to all terms and conditions of this RfP as per Annex.-IV

4.11 Lodgement of RfP

4.11.1 RfP Submission: Please refer to Para 2 of this document.

4.11.2 The authorized signatory(s) signing the bid documents shall put his signature on all pages of the bid. The bid shall contain no erasures or overwriting except as necessary to correct errors made by the bidder, in which case corrections shall be initiated by the person (s) signing the bid. If the submission does not include all the information required or is incomplete, the proposal is liable to be rejected. A letter of authorization for the signing authority of the official may be also submitted on the letterhead of the firm.

4.11.3 All submissions, including any accompanying documents, will become the property of DICGC. Respondents shall be deemed to license, and grant all rights to DICGC to reproduce the whole or any portion of their submission for the purpose of evaluation, to disclose the contents of the submission to other respondents and to disclose and / or use the contents of the submission as the basis for any resulting RfP process, notwithstanding any copyright or other intellectual property right that may subsist in the submission or accompanying documents.

4.11.4 RfP Validity period Please refer to para 5 of this document.

4.11.5 Cost of Bidding Document

No cost has been prescribed for the bidding document. However, registration fee for MSTC portal shall not be reimbursed by DICGC

4.11.6 One bid per bidder

Each bidder shall submit only one bid for the appointment.

4.11.7 Late Bids

Any bid received after the deadline for submission of the bids will be treated as "Late Bid" and such bids shall not be considered at all for competitive bidding.

4.12 Quote Reference: The bids must be quoted per depositor-wise only at the time of financial bidding. Please note that the number of accounts may be different than the number of depositors as one depositor may be holding more than one account in his/her name.

4.13 Communication in respect of queries relating to RfP

Respondents are required to direct all communications related to this RfP to: dicgcbids1@rbi.org.in.

4.13.1 DICGC may, in its absolute discretion, seek additional information or material from any respondents after the RfP closes and all such information and material provided must be taken to form part of that respondent's response.

- **4.13.2** Respondents should provide details of their contact/ nodal person's Telephone number, Mobile number, E-mail and full postal address(s) to ensure that replies to RfP could be conveyed promptly.
- **4.13.3** If DICGC, in its absolute discretion, deems that the originator of the question will gain an advantage by a response to a question, then DICGC reserves the right to communicate such response to all respondents.
- **4.13.4** DICGC may, in its absolute discretion, engage in discussion after the RfP closes to improve or clarify any response. It may at its discretion, grant additional time to ensure adequate representation for bids (before opening the bids). Additional work, if any may be given in respect of the bank for which the CA firm has been appointed.

4.14 Notification

DICGC will notify the successful bidder/s in writing. DICGC is not obliged to provide any reasons for any such acceptance or rejection. The bidder selected in respect of a bank may, if directed so to do, have to carry out assignments incidental to work undertaken for that bank.

4.15 <u>Debarment of firm from Bidding</u>: -

The firm/ bidder will be debarred from bidding/participation in tendering process on the following grounds:

- a) making offer, solicitation, or acceptance of bribe, reward of any gift or any material benefit directly or indirectly, in unfair advantage in bidding process or to influence the bidding process.
- b) any omission, misrepresentation that may mislead or attempt to mislead so that financial benefits may be obtained, or an obligation avoided.
- c) any collusion, bid rigging or anticompetitive behavior that may impair transparency, fairness or progress of bidding process.
- d) any financial or business transaction between bidder and or any official of the bidding process, which can affect the decision of DICGC directly or indirectly.
- e) any coercion or any threat to impair or harm, directly or indirectly, any party or its property to influence the bidding process.

- f) obstruction of any investigation or auditing of bidding process.
- g) making false declaration or providing false information for participation in bidding process.
- h) failed to declare conflict of interest.
- i) failed to disclose of being debarred by any public procuring institution entity.
- j) unsatisfactory performance observed by DICGC in past engagements.

4.16 Norms for delisting of CA Firm from Empaneled list

- a. fails to respond to the call notice for inviting financial bids consecutively on three occasions in a period of one year.
- b. is proved to be responsible for not carrying out the work as per guidelines.
- c. Persistently violates any important condition like timelines or guidelines issued to carrying out the entrusted work.
- d. Fails to abide by the condition of registration/empanelment or is found to have given false particulars at the time of registration/empanelment.
- e. wrong report submitted/ not carried out work as per the guidelines and Corporation has to reaudit the bank, resulting in reputation risk or financial risk to the Corporation.
- f. is declared or is in the process of getting declared bankrupt /insolvent, wound up, dissolved or partitioned.
- **4.17 Deployment:** The firm should deploy at least one CA, one skilled assistant, (passed group II of the IPCC examination) and two semi-skilled personnel (at least Group I of IPCC and undergoing Article training) to the insured bank headquarters and number of personnel should be increased commensurate to the number of depositors in a bank.

5. Tenure

5.1. The empanelment for verification/certification of claims submitted by bank placed under Liquidation, AID and transferee banks is for a period of **3** years subject to annual review and satisfactory performance at DICGC's sole discretion. There may be an extension in tenure, based on mutually agreed terms and conditions. DICGC reserves the right to disengage the services of the firm in case of unsatisfactory performance during the tenure.

5.2. Decision of DICGC in all matters such as eligibility ,scrutiny of the documents to be produced, award of assignment and any other matter relating to this notification will be final and binding on the applicants. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by the DICGC in this regard.

6. Selection Process

It may be noted that after finalization of internal scrutiny process, a list of empaneled CA firms shall be published on DICGC website (https://dicgc.org.in). Selection will be based on a score of minimum 50 marks in technical evaluation or as decided by DICGC. This empanelment will be only for the specified purpose as specified in this RfP document.

Whenever any bank becomes eligible for receipt of deposit insurance claims, the financial bids will be invited from the empaneled CA firms. The decision regarding completion of an assigned task and the satisfactory performance of the CA firm shall be made internally by the Corporation and accordingly the eligibility of CA firms will be decided. The selection of CA firms from the panel will be based on L1 (lowest) quote as decided by a committee formed for the purpose. In case, if two or more CA firms are tied at L1 quote, the Committee may select the CA firm based on the score of the firm in the technical bid submitted at the time of empanelment. The decision of the Committee in this regard shall be final and binding. (A tie breaker mechanism has been devised by Corporation wherein, if a firm is found emerging as L1 bidder for more than one bank in the lot (in case of bids being called for more than one bank), the said firm would be allotted the bank having maximum number of deposit accounts amongst the said banks and Corporation will allot the other bank/s to L2 / L3 / L4 bidder as the case may be). The decision of the Committee in this regard shall be final and binding.

For banks for which claim is being settled under Section 18A of DICGC Act, 1961, if the AID restrictions on the allotted bank are removed before 90 days or there is any other regulatory decision, the bid for the bank will stand cancelled. However, in case of invoking provisions of Sec 18A(7)(a) of the Act (scheme of amalgamation/ compromise/ arrangement or of reconstruction by regulator) for the bank on receipt of such instructions from Department of Regulation (DoR), RBI, the CA firm appointed for the bank shall verify

the entire depositor list submitted, in such (extended) time that would be advised by DICGC.

In case the liability under the Act ceases to exist, DICGC would cancel the work contract.

7. This RfP will be assessed on the following basis: -

Technical Evaluation:

A. Eligibility Criteria:

- a) The bidder should be a Statutory Central Auditor (SCA).
- b) The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years.
- c) The firm should be on C&AG Panel for the current year viz., FY 2024-25.
- d) Firms which are <u>currently</u> engaged as Statutory / Statutory Branch Auditors / Concurrent Auditors of RBI / consultants/ for any subsidiary of RBI including Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India (DICGC) are <u>not eligible</u> to apply.
- e) Any firms debarred by DICGC /RBI /any statutory body within a time of last 3 years are <u>not eligible</u> to apply.
- f) Any firm which has not carried out the verification work associated with deposit insurance claims in a satisfactory manner is not eligible to apply.

B. Mandatory Criteria:

- a) The firm should have a minimum of two full time qualified CAs employed.
- b) The firm or any of its partners should not have been blacklisted/debarred anytime during last 3 years (as on the date of application) from participation in a tender floated by any central/state PSU including DICGC / RBI or any State/Central Government Department/Institutes or any autonomous body funded and/or controlled by any state/central government. After getting empanelled, the CA Firm will be responsible to submit similar declaration on yearly basis and also to inform the Corporation immediately in case of any blacklisting / debarring.

- c) The firm/partner associated should not have been penalized for any disciplinary proceedings and no disciplinary proceedings should be pending against them as on the date of application.
- d) It is essential that, all the above criteria prescribed are fulfilled in order to be eligible for empanelment as CA for onsite verification of books of record and claims of insured banks. The eligibility / mandatory criteria shall have to be met at the time of application and the firm shall continue to meet the criteria throughout the tenure of the agreement. Firm/ Partners should disclose relationship, if any, to any director/employee/officer of DICGC. The decision of DICGC will be final in this regard.

8 General Guidelines & Instructions

Bidders are advised to study all instructions, forms, terms, requirements and other information in the RfP documents carefully. Submission of the bid shall be deemed to have been done after careful study and examination of the RfP document with full understanding of its implications.

1. Bidders must:

- Include all documentation specified in this RfP at the time of submitting the bid.;
- Follow the format of this RfP and respond to each element in the order as set out in this RfP.
- Comply with all requirements as set out within this RfP.
- 2. All information supplied by Bidders may be treated as contractually binding on them, on successful award of the assignment by the DICGC.
- 3. No commitment of any kind, contractual or otherwise shall exist unless and until a formal written letter has been awarded by or on behalf of the DICGC. Any notification of preferred Bidder status by the DICGC shall not give rise to any enforceable rights by the Bidder. The DICGC may cancel this public empanelment at any time prior to a formal written letter being issued by or on behalf of the DICGC.
- Bidder shall be liable for any acts, deeds or things done by their employees, agents, which is outside the scope of power vested or instructions issued by the DICGC.

- 5. Bidder shall not be entitled to any compensation for any loss suffered by him on account of delays in commencing or executing the work.
- 6. It is well defined and understood that the labour or any employee of Bidder will have no right for claim of employment on the DICGC.
- 7. The DICGC shall have the right to withhold any payment due to bidder in case of delays, unsatisfactory performance, or defaults on the part of bidder.
- **8.1 Government Tax** Bidders are responsible for establishing the status of the services for the purpose of any government tax including indirect tax, cess, etc. to Government of India. Any applicable taxes should be shown/factored in financial proposal/bids.
- **8.2** Alterations to Tenders Any manuscript or other alteration to the bid must be countersigned and dated by the person submitting the tender within the stipulated timeframe.
- **8.3** Letters and Declaration to Accompany Tenders The bid must be accompanied by scanned copy of a letter on firm's letter head showing the full registered name (s) and registered office address of the bidder. It should be signed by a person of suitable authority to commit the bidders to a binding contract.
- **8.4** Participation in Tenders Bids must be uploaded in MSTC portal only.
- **8.5 Conflict of Interest** Bidders must disclose in their bid details of any circumstances, including personal, financial, and business activities that will, or might, give rise to a conflict of interest. Where bidders identify any potential conflicts, they should state how they intend to avoid such conflicts. DICGC reserves the right to reject any bid which, in DICGC's opinion, gives rise, or could potentially give rise to, a conflict of interest.
- **8.6 Undertaking -** Bidders must give an undertaking that:
- There has not been any disciplinary action initiated or contemplated/suspension of business against the entity or its partners by ICAI/DICGC or other regulatory / statutory authority during the last three years (as on the date of application).
- None of the partner/employees have been convicted of any offence involving moral turpitude or has been found guilty of economic offence.

- No appeal/unresolved dispute/suit/case/application has been pending at any court in India regarding the existence of the business / right to carry on practice.
- **8.7 Indemnity** The successful bidder shall exercise reasonable skill, care and diligence in the performance of the assignment and indemnify and keep DICGC, its officers and other staff indemnified in respect of any loss, damage or claim howsoever arising out of or related to breach of contract, statutory duty or negligence by the firm or its staff, agents or sub-contractors in relation to the performance or otherwise of the services to be provided under the Contract.
- **8.8 Assigning to Others -** The successful bidder shall not, without the prior written consent of DICGC, assign or transfer or cause to be assigned or transferred, whether actually or as the result of takeover, merger or other change of identity or character of the experts, any of its rights or obligations under the Contract or any part, share or interest therein. Upon any such assignment or transfer, this engagement may forthwith be terminated by DICGC.

8.9. Termination –

- **8.9.1** For banks whose claim is being settled under Section 18A of DICGC (Amendment) Act, 2021, if the AID restrictions on the allotted bank are removed before 90 days or there is any other regulatory decision, the bid for the bank will stand cancelled. However, in case of invoking provisions of Section 18A(7)(a) of the Act (scheme of amalgamation/compromise/ arrangement or of reconstruction by regulator), the revised timelines shall be communicated separately to the selected CA firm.
- **8.9.2** DICGC may, at its sole discretion and at any time terminate the Contract by giving a month's notice and inform the CA firm of DICGC's decision by written instruction to that effect. In the event of the Contract being so terminated, the firm shall take such steps as are necessary to bring the services to an end, (including terminating any sub-contracts placed by the firm) in a cost effective, timely and orderly manner.
- **8.9.3** For banks under liquidation, DICGC may, at its sole discretion and at any time terminate the Contract by giving a month's notice and inform the CA firm of DICGC's decision by written instruction to that effect.

8.10. Resolution of Disputes

- **8.10.1** The bids and any contract resulting therefrom shall be governed by and construed according to the Indian Laws
- **8.10.1** All dispute or differences whatsoever arising between the selected Bidder and the DICGC out of or in relation to the construction, meaning and operation or effect of the Contract, with the selected Bidder, or breach thereof shall be settled amicably. If, however, the parties are not able to resolve any dispute or difference aforementioned amicably, after issuance of 30 days' notice in writing to the other, clearly mentioning the nature of the dispute / differences, the matter shall be referred to a single arbitrator, acceptable to both the parties, for initiation of arbitration proceedings and settlement of the dispute/s and difference/ strictly under the terms and conditions of the RfP, Appointment Letter or Contract (if any) , executed between the Bank and the Bidder. In case, the decision of the sole arbitrator is not acceptable to either party, the disputes / differences shall be referred to joint arbitrators, one arbitrator to be nominated by each party and the arbitrators shall also appoint a presiding arbitrator before the commencement of the arbitration proceedings. The arbitration shall be governed by the provisions of the Rules of Arbitration of the Indian Council of Arbitration under the exclusive jurisdiction of the courts at Mumbai, India.
- **8.10.2** The award shall be final and binding on both the parties.
- 8.10.3 Work under the RfP, Appointment Letter or Contract (if any) shall be continued by the selected Bidder during the arbitration proceedings unless otherwise directed in writing by the Bank or unless the matter is such that the work cannot possibly be continued until the decision of the arbitrator, as the case may be, is obtained and save as those which are otherwise explicitly provided in the Contract, no payment due or payable by the Bank, to the Bidder shall be withheld on account of the ongoing arbitration proceedings, if any, unless it is the subject matter or one of the subject matters thereof.

8.10.4 The venue of the arbitration shall be at Mumbai, India under the exclusive jurisdiction of the courts at Mumbai, India.

8.11 Delays in Bidder's Performance Penalties

The Bidder should strictly adhere to the implementation schedule, as specified in the RfP, Appointment Letter or Contract (if any) for performance of the obligations and delay in completion of the obligations by the Bidder will enable the DICGC to resort to any or all of the following:

- (i) The appointment shall be cancelled in case of unsatisfactory/delayed performance.
- (ii) Penalty of 1% per day, maximum 10% of payable value may be levied, on sole discretion of DICGC, in case of delayed performance beyond time-limit as specified in appointment letter.

8.12 Sexual Harassment of Women at workplace

The firm/ company shall be solely responsible for full compliance with provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. In case, any grievance of sexual harassment is filed against employee/s of the firm at workplace of DICGC, the complaint will be dealt by the Internal Complaint Committee constituted by the firm and the firm shall ensure appropriate action under the said Act. Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the firm/ company against any employee/ customer/ visitor of DICGC shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Corporation. The firm/ company shall be responsible for any monetary compensation that may be required to be paid in case the incident involves the employees of the Service Provider, for instance, any monetary relief to the Corporation's employee, if sexual violence by the employee of the Service Provider is proved. The firm/ company shall be responsible for educating its employee about prevention of sexual harassment at workplace and related issues. The firm/ company shall provide a complete and updated list of its employees who are deployed within the Corporation's premises.

8.13 Confirmation to terms and conditions of RfP

The CA Firm also has to submit Confirmation to terms and conditions of RfP as per annex IV on firms' letterhead.



FORM-1 (Technical Bidding) [Contains Annex I with Appendix 1 & 2 and Annex 1(A)]

Annex I

Technical Bid for Empanelment of CA firms for verification of books in respect of insured banks

Sr.No	Technical Bid - Eligibility Criteria	Please specify	Documents Required
1.	The applicant firm should be eligible to be Statutory Central Auditor (SCA) of a PSB and should be empanelled with C&AG of India for FY 2024-25		Certificate issued in this regard.
2.	No. of years of experience of the firm.		Address of branch / Head office of the firm: Name of full time partner heading the branch: Phone Number & e-mail: Year of incorporation
3	No. of full time FCA partners		Name of full time partner: Qualification: Address: Phone Number & e-mail: Date since engaged with firm Details to be furnished as per Appendix 1
4	No. of years on C&AG Panel continuously.		Specify no. of years.
5	Number of qualified CAs employed with the firm.		Names and date since engaged with above entity:
6	Experience of firm in bank audit.		Name of Partner who audited: No of banks audited: (Appendix 2)
7	Prior assignments with DICGC on claims verification for banks.		If yes, details of the same viz., Name of bank; Period of Assignment (From date to date);
8	The firm should not have been blacklisted/debarred anytime during last 3 years ended till issuance of this RfP from participation in a tender floated by any central/state PSU including		After getting empanelled, the CA Firm will be responsible to submit declaration on yearly basis and also to inform the Corporation immediately in case of any blacklisting / debarring.

Sr.No	Technical Bid - Eligibility Criteria	Please specify	Documents Required
	DICGC / RBI or any State/Central		
	Government		
	Department/Institutes or any autonomous body funded and/or controlled by any state/central government.		

Details of Partners of the Firm

		Ap	pendix	1		
Details of the Parti	ners					
Name of the		Dates of becoming		Membershi	Educationa I	Experienc
Partner	ACA	FCA	joinin g the firm	p Number	ber Qualificatio n	e

Signature of Partner of the firm with the Seal of the firm

Appendix 2 (to Annex I)

Details of experience of the firm in Bank Audit

		Appendix 2			
Details of expe	erience of the firm	in audit in ba	nks/ RBI		
Type of Audit*	Name of the Bank	Branch (es)	No. of years of	Period engage	
			engagement	From Date	To date

^{*}Statutory Central Audit/ Statutory Branch Audit/ Concurrent Audit/ IS audit/ Claim verification of banks for DICGC/ Experience in KYC Audit /forensic audit.

Signature of Partner of the firm with the Seal of the firm

Annex I (A)

Particulars to be furnished for the purpose of Empanelment of CA firm for onsite verification / certification of books in respect of depositor list submitted by insured banks Name of the firm **Complete Postal Address** Details of the branches operating in India: (i) Address: (ii) Name and Designation of the person heading the branch (pl. specify whether partner or not also) (iii) Email ID (iv) Phone Number: 3 (v) Whether it is a Head Office or branch Email address and Telephone Number of the Head Office of the Firm 4 Date of Establishment of the firm No. of completed years for which practicing in India as on March 31, 2024 6

I declare that:

GSTIN

Firm Registration No.

Permanent Account Number (PAN)

- (a) The firm/partners associated with the firm have not been penalized for any disciplinary proceedings (during the last 3 years), initiated by ICAI/ICMAI and no disciplinary proceedings are pending against the firm / partners associated with the firm as on the date of application;
- (b) The firm / partners of the firm not have been blacklisted/debarred anytime during last 3 years till issuance of this RfP from participation in a tender floated by any Central/State PSU including DICGC / RBI or any State/Central Government Department/Institute or any autonomous body funded and/or controlled by any State/Central government/any other regulatory body.
- (c) We are not currently Statutory / Statutory Branch Auditors / Concurrent Auditors/ Consultants of RBI or any subsidiary of RBI including Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India (DICGC).

The decision of DICGC in this regard shall be final.

Signature of Partner of the firm with the Seal of the firm

Annex II

Indicative Terms of reference (TOR) for appointment

- 1. To verify onsite, the books and records of the bank at Head Office and its all the branch/(es),if required, and certify that the depositor list prepared/ submitted by the Bank/liquidator/transferee banks containing the names of the eligible depositors of the bank and is in accordance with the provisions of DICGC Act, 1961 (as amended from time to time) and the guidelines issued by the Corporation. This shall also include verification/audit of KYC records and/ or willingness forms of the depositor along with verification and confirmation of net outstanding deposit amount (Principal plus accrued interest till cut-off date minus set-off of loans, if any) in the name of the depositor.
- 2. To verify that the depositor list does not contain the claims in respect of depositors like Banks, Central/State Government Accounts etc., who are not eligible for the deposit insurance cover in terms of Section 2(g) of DICGC Act, 1961.
- 3. To verify that the bank has exercised the right to **set-off** in regard to recovery of its loans, advances and other dues while preparing the depositor list as on cut-off date and before making payment to the depositors as provided in Section 16 (3) of DICGC Act, 1961.
- 4. To ascertain whether the bank has carried out the exercise of **clubbing** of the deposit accounts of all the depositors in the 'same right and in the same capacity' in accordance with the provisions of the DICGC Act, 1961 and the guidelines issued by DICGC in this regard. Any additional clubbing, if required, during the course of verification may also be reported separately.
- 5. To verify KYC records of each depositor and ascertain whether the willingness of depositor for Claiming Deposit Insurance claims from DICGC (in case of claims submitted under Sec 18A) has been obtained.
- 6. To verify and report whether the bank has followed the directions, if any, issued to the bank by Reserve Bank of India under Section 35-A of the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Co-operative Societies) and whether any withdrawal was allowed by the bank from depositor's account(s) during the period or any cash repayment were accepted when such directions were in force. Lists of depositors

who have made permissible withdrawals and/or cash repayment will be required to be furnished separately.

- 7. The CA firm is required to verify whether the bank undertook any transactions to claim more amount than otherwise due, share capital amount of members was transferred to deposit accounts post cut-off date, whether the bank had closed the books of accounts by the close of business on the cut-off date, whether any restructuring of accounts was carried out by the bank by splitting the total amount of deposits in a particular account by opening new accounts / or into existing accounts post the cut-off date. Findings / observations in this regard are to be reported separately to the Corporation.
- 8. Firms which are allotted verification work of any bank placed under AID, may be allowed to continue the verification, on sole discretion of DICGC, when the bank concerned is subsequently placed under liquidation by RBI. The continuation in engagement shall be subject to submission of acceptance with regard to charging same professional fee as already agreed upon for verification of depositor's list of banks under AID and adherence to the revised guidelines (as applicable to liquidated banks), by the firm concerned.
- 9. DICGC reserves the right to delist from the panel/debar from participation in financial bids/ blacklist, any empaneled CA firm, in case of unsatisfactory performance or on any other grounds as determined by a Committee of the Corporation.
- 10. Furnishing digitally signed and also duly signed print copy of verification report to DICGC in the format prescribed by DICGC. The adherence to timelines for on site verification and submission of final report as advised by DICGC has to be ensured.
- 11. The CA firm would ensure that it would in no way involve itself with the preparation of claim list.
- 12. The detailed guidelines for verification/certification of bid shall be sent after acceptance of bid.

13. DICGC reserves its right to modify, alter or delete the terms & conditions, and the scope of work, as it may deem fit during the tenure of the panel.

(The above list is inclusive and not exhaustive i.e. Terms of reference shall include providing professional assistance incidental to verification of claims)

Annex III Technical Evaluation for Empanelment of CA firm for onsite verification of books in respect of insured banks

Sr.No	Technical Bid	Basis of Ma	rking
Manda	tory Criteria		
1.	The firm should not have been blacklisted/debarred anytime during last 3 years till issuance of this RfP from participation in a tender floated by any central/state PSU including DICGC / RBI or any State/Central Government Department/Institutes or any autonomous body funded and/or controlled by any state/central government.	Documents Required on letter head duly sign the firm. After getting en Firm will be responsible declaration on a yearly b the Corporation immed any blacklisting / debarri	ned by partner of npanelled, the CA to submit similar asis and to inform iately in case of ing.
2.	The firm/partner associated should not have been penalized for any disciplinary proceedings (during the last 3 years) and no disciplinary proceedings should be pending against them as on the date of application.	Self-declaration on letter signed by partner of the	-
3.	Firms which are currently Statutory Central Auditors / Statutory Branch Auditors / Concurrent auditors/ consultants/ of RBI or any subsidiary of RBI including Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India (DICGC) will not be eligible to apply.	Self-declaration on letter by partner of the firm.	head duly signed
Eligibil	ity Criteria		
4.	Experience of the firm – No of years	Information Required Registration Certificate; Basis of Marking:	
			Marks
		Less than 10 years	0
		10-15 years	5
		16-20 years	10
		Above 20 years	15
_	Full Time Full Ol ()	Max Marks -15	
5.	Full Time Fellow Chartered Accountant (FCA) Partners	Information Required 1. Name of full time paemployee(s):	artner(s)/ full time

35 68 Above 8 Max Marks-15 6. Key Professional Staff – Full time CA employees Basis of Marking:	0 0 5
4. Phone Number & e-mail: 5. Date since engaged with firm qualification: Basis of Marking: No. of full time full partner (s)/ full time employee (s) having post qualification experience in firm Less than 3 3-5 6-8 Above 8 Max Marks-15 6. Key Professional Staff – Full time CA employees Basis of Marking: Less than 2 CAs 2 to 5 CAs 6 to 10 CAs More than 10 CAs Max Marks -15 7. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. Information Required 3. Name of PSB / Co-operative audited; 4. Date of appointment and leappointment; Basis of Marking:	0 0 5
5. Date since engaged with firm qualification: Basis of Marking: No. of full time full partner (s)/ full time employee (s) having post qualification experience in firm Less than 3 3-5 6-8 Above 8 Max Marks-15 6. Key Professional Staff – Full time CA employees Fig. 1. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative audited; Above 8 Basis of Marking: Less than 3 3-5 6-8 Above 8 Max Marks-15 Basis of Marking: Information Required 3. Name of PSB / Co-operative audited; 4. Date of appointment and leappointment; Basis of Marking:	0 0 5
qualification: Basis of Marking: No. of full time full partner (s)/ full time employee (s) having post qualification experience in firm Less than 3 3-5 6-8 Above 8 Max Marks-15 6. Key Professional Staff – Full time CA employees Fig. 1. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative audited; 4. Date of appointment and leappointment; Basis of Marking:	0 0 5
Basis of Marking: No. of full time full partner (s)/ full time employee (s) having post qualification experience in firm Less than 3 3-5 6-8 Above 8 Max Marks-15 6. Key Professional Staff – Full time CA employees East of Marking: CA employees Basis of Marking: Mar Marks-15 Basis of Marking: Less than 2 CAs 2 to 5 CAs 6 to 10 CAs More than 10 CAs Max Marks-15 Information Required 3. Name of PSB / Co-operative audited; 4. Date of appointment and leappointment; Basis of Marking:) 5 0 5
No. of full time full partner (s)/ full time employee (s) having post qualification experience in firm Less than 3 3-5 6-8 Above 8 Max Marks-15 Key Professional Staff – Full time CA employees Easis of Marking: Marks - 15 Basis of Marking: Less than 2 CAs 2 to 5 CAs 6 to 10 CAs More than 10 CAs Max Marks - 15 Information Required 3. Name of PSB / Co-operative audited; 4. Date of appointment and leappointment; Basis of Marking:) 5 0 5
No. of full time full partner (s)/ full time employee (s) having post qualification experience in firm Less than 3 3-5 6-8 Above 8 Max Marks-15 Key Professional Staff – Full time CA employees Easis of Marking: Marks - 15 Basis of Marking: Less than 2 CAs 2 to 5 CAs 6 to 10 CAs More than 10 CAs Max Marks - 15 Information Required 3. Name of PSB / Co-operative audited; 4. Date of appointment and leappointment; Basis of Marking:) 5 0 5
(s)/ full time employee (s) having post qualification experience in firm Less than 3 3-5 6-8 Above 8 Max Marks-15 6. Key Professional Staff – Full time CA employees Easis of Marking: CA employees Max Marks-15 Basis of Marking: Less than 2 CAs 2 to 5 CAs 6 to 10 CAs More than 10 CAs More than 10 CAs Max Marks -15 7. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. Information Required 3. Name of PSB / Co-operative audited; 4. Date of appointment and leappointment; Basis of Marking:	5 0 5
having post qualification experience in firm Less than 3 3-5 6-8 Above 8 Max Marks-15 6. Key Professional Staff – Full time CA employees East than 2 CAs 2 to 5 CAs 6 to 10 CAs More than 10 CAs More than 10 CAs Max Marks -15 7. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. Information Required 3. Name of PSB / Co-operative audited; 4. Date of appointment and leappointment; Basis of Marking:	5 0 5
Less than 3 3-5 6-8 Above 8 Max Marks-15 6. Key Professional Staff – Full time CA employees Basis of Marking:	5 0 5
Less than 3 3-5 6-8 Above 8 Max Marks-15 6. Key Professional Staff – Full time CA employees Basis of Marking:	5 0 5
6. Key Professional Staff – Full time CA employees CA employees CA employees CA employees	5
Above 8 Max Marks-15 6. Key Professional Staff – Full time CA employees CA employees Basis of Marking: Marking: Less than 2 CAs 2 to 5 CAs 6 to 10 CAs More than 10 CAs More than 10 CAs Max Marks -15 The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. Information Required 3. Name of PSB / Co-operative audited; 4. Date of appointment and leappointment; Basis of Marking: Basis of Marking: Above 8 Max Marks-15 Marking: Marking	5
6. Key Professional Staff – Full time CA employees Basis of Marking: Marking: Less than 2 CAs 2 to 5 CAs 6 to 10 CAs More than 10 CAs Max Marks -15	,
6. Key Professional Staff – Full time CA employees Basis of Marking: Marking:	
6. Key Professional Staff – Full time CA employees Basis of Marking: Marking:	
CA employees Less than 2 CAs 2 to 5 CAs 6 to 10 CAs More than 10 CAs Max Marks -15 7. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. Information Required 3. Name of PSB / Co-operative audited; 4. Date of appointment and leappointment; Basis of Marking:	
2 to 5 CAs 6 to 10 CAs More than 10 CAs Max Marks -15 7. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. 8 Date of appointment and leappointment; Basis of Marking:	(S
7. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative audited; 4. Date of appointment and leappointment; Basis of Marking:)
More than 10 CAs Max Marks -15 7. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. A Date of appointment and least of marking: More than 10 CAs Max Marks -15 Information Required 3. Name of PSB / Co-operative audited; 4. Date of appointment and least of marking:	5
7. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. Basis of Max Marks -15 Information Required 3. Name of PSB / Co-operative audited; 4. Date of appointment and leappointment; Basis of Marking:	0
7. The firm should have an experience of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. 4. Date of appointment and least appointment; Basis of Marking:	5
of auditing PSBs/Co-operative banks for more than three years. 4. Date of appointment and le appointment; Basis of Marking:	
banks for more than three years. 4. Date of appointment and least appointment; Basis of Marking:	
4. Date of appointment and le appointment; Basis of Marking:	Bank
appointment; Basis of Marking:	
Basis of Marking:	tter of
Audit of PSB / Co-operative Mar	(S
bank – No. of banks	
Less than 3 years)
	0
Above 10 years 2	0
Max. Marks -20	
8. Verification of claim list of banks Information Required	
upon appointment by DICGC 1. Letter of Appointment confirmi	İ
same may be attached.	g the
Max Marks-15	g the

Annex –IV - Confirmation of Terms and Conditions

Confirmation of Terms and Conditions

(On letterhead of the Bidder)

The Chief General Manager

Deposit Insurance and Guarantee Corporation RBI Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai, Maharashtra – 400008

Dear Sir,

Request for Proposal (RFP) for Empanelment of CA firms for onsite verification / certification of claim list and books of records of insured banks

Further to our proposal dated , in response to the Request for Proposal (RfP) for empanelment of CA firms for verification / certification of claim list and books of records of insured banks (hereinafter referred to as "RfP") issued by DICGC, we hereby covenant, warrant and confirm as follows: We hereby agree to comply with all the terms and conditions / stipulations as contained in the RfP and the related addendums, other documents and if required including the changes made to the original bid documents issued by DICGC, provided that only the list of deviations furnished by us in the relevant Annex. Which are expressly accepted by DICGC and communicated to us in writing, shall form a valid and binding part of the aforesaid RfP document. DICGC is not bound by any other extraneous matters or deviations, even if mentioned by us elsewhere either in our proposal or any subsequent deviations sought by us, whether orally or in writing, and DICGC's decision not to accept any such extraneous conditions and deviations will be final and binding on us.

Yours faithfully,

Authorized Signatory

Designation

Bidder's corporate name

Annexure V

IMPORTANT INSTRUCTIONS REGARDING E-TENDER

This is an e-procurement event of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (**DICGC**). The e-procurement service provider is MSTC Limited.

You are requested to read and understand the Notice Inviting E-Tender and subsequent Corrigendum, if any, before submitting your online tender. Tenderers who do not comply with the conditions with documentary proof (wherever required) will not qualify in the Tender for opening of price bid.

1. Process of E-tender:

A) Registration: The process involves vendor's registration with MSTC e-procurement portal which is free of cost. Only after registration, the vendor(s) can submit his/their bids electronically. Electronic Bidding for submission of Technical Bid over the internet will be done. The Vendor should possess Class III signing and encryption type digital certificate. Vendors are to make their own arrangement for bidding from a P.C. connected with Internet. MSTC/DICGC is not responsible for making such arrangement. (Bids will not be recorded without Digital Signature).

SPECIAL NOTE: THE TECHNICAL BID HAS TO BE SUBMITTED ON-LINE ONLY AT www.mstcecommerce.com/eproc (Version 3)

1) Vendors will receive a system generated mail confirming their registration in their email which has been provided during filling the registration form. In case of any Clarification, please contact DICGC, MSTC, (before the scheduled time of the e- tender). **Contact person (MSTC):**

HO Central Help Desk: (For vendors)

Phone Number: 07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (Please mention "HO Helpdesk" as subject while sending emails)

Availability

Mr. Tanmoy Sarkar, Deputy Manager: 7651915418/8349894664 – wroopn11@mstcindia.in

9:30 AM to 5:00 PM on all working days for all Technical issues e-Tenders, System settings etc.

	Contact person (DICGC):
	Shri Sumit Kumar, Manager
	Mobile No: 7903555296 Email id: <u>sumitk@rbi.org.in</u>
	Shri Prithviraj Harish, Manager Mobile No: 7259795311
	Vendors are required to register themselves online with www.mstcecommerce.com/eproc
	Register as Vendor Filling up details and creating own user id and password Submit. For further details, go to System Settings (on dashbar) Download Guide / Video / Registration Guide.
	B) System Requirement:
	i) Windows XP-SP3 & above/Windows 7 Operating System
	ii) IE-7 and above Internet browser.
	iii) Signing type digital signature
	iv) JRE 7 update 9 and above software to be downloaded and installed in the system.
	To enable ALL active X controls and disable 'use pop up blocker' under Tools→Internet Options→ custom level
	For more details, vendor may refer to the Vendor Guide and FAQ available www.mstcecommerce.com/eproc
2.	Technical bid will be opened electronically on specified date and time as given in the RfP document.
3.	All entries in the e-Tender should be entered in online Technical bid Formats without any ambiguity.

4. **Special Note towards Transaction fee:** PAYMENT Of Transaction fee is online on MSTC site For the payment of transaction fee, the vendor should pay the transaction fee using the "Transaction Fee" Link in the vendor login. Here the vendor may select the particular e- Tender in which they want to participate. NOTE: The bidders should submit the transaction fee well in advance before the last date of submission of e-Tender as they will be activated for bid submission only after receipt of transaction fee by MSTC. Bidders may please note that the transaction fee should be deposited by debiting the account of the bidder only; transaction fee deposited from or by debiting any other party's account will not be accepted. Transaction fee is non-refundable. In case of failure to make payment towards Transaction fee for any reason, the vendor, in term, will not have the access to online e tender. 5. Vendors are instructed to use Upload Documents link in My menu to upload documents in document library. Multiple documents can be uploaded. Maximum size of single document for upload is 5 MB. Once documents are uploaded in the library, vendors can attach documents through Attach Document link against the particular e-Tender. Please note that if the documents are not attached to any e-Tender, the same cannot be downloaded by DICGC and it will be deemed that the vendor has not submitted the documents. For further assistance please follow instructions of vendor guide. 6. All notices and correspondence to the bidder(s) shall be sent by email only during the process till finalization of e-Tender by DICGC as well as by MSTC (eprocurement service provider). Hence the bidders are required to ensure that their email address provided is valid and updated at the stage of registration of vendor with MSTC (i.e. Service Provider). Bidders are also requested to ensure validity of their DSC (Digital Signature Certificate). 7. (iii) Bidders are requested to see the web site once again before the due date of e-Tender opening to ensure that they have not missed any corrigendum uploaded against the said e-Tender after downloading the e-Tender document. The responsibility of downloading the related corrigenda, if any, will be of the bidders only. (iv) No separate intimation in respect of corrigendum to this RfP (if any) will be sent to tenderer (s) who have downloaded the documents from web site. Please see website www.mstcecommerce.com/eproc of MSTC Ltd. 8. E-tender cannot be accessed after the due date and time mentioned in RfP.

9. **Bidding in e-tender**

- a) The process involves submission of Technical Bid.
- b) The bidder(s) who can submit their Technical Bids through internet in MSTC website www.mstcecommerce.com → e-procurement → Common Portal → Bid Floor Manager→ live event →Selection of the live event→ Technical Bid.
- c) The bidder should allow to run an application namely en Applt. by accepting the risk and clicking on run. This exercise has to be done twice immediately after reaching the bid floor. If this application is not run, then the bidder will not be able to save/submit his bid. (for details refer vendor guide & FAQ).
- d) First the vendor needs to fill up the Technical specification if any and save it. Then the vendor should fill up the Technical bid. After filling the Technical Bid, bidder should click 'save' for recording their Technical bid. Once the same is done, bidder should click on "save" to record their price bid. Then once the Technical bid has been saved, the bidder can click on the "Final Submission" button to register their bid

NOTE: - After clicking the final submission "Delete bid" option would be shown. If the vendor wants to delete the bid after final submission and re submit the bid, then he/she should click delete bid and resubmit the same and again click final submission.

- e) In all cases, bidder should use their own ID and Password along with Digital Signature at the time of submission of their bid.
- f) During the entire e-tender process, the bidders will remain completely anonymous to one another and also to everybody else.
- g) The e-tender floor shall remain open from the pre-announced date & time and for as much duration as mentioned above.
- h) All electronic bids submitted during the e-tender process shall be legally binding on the bidder. Any bid will be considered as the valid bid offered by that bidder and acceptance of the same by the Buyer will form a binding contract between Buyer and the Bidder for execution of supply/work. Such successful tenderer shall be called hereafter SUPPLIER/CONTRACTOR.
- i) It is mandatory that all the bids are submitted with digital signature certificate otherwise the same will not be accepted by the system.
- j) Buyer reserves the right to cancel or reject or accept or withdraw or extend

	 the tender in full or part as the case may be without assigning any reason thereof. k) No deviation of the terms and conditions of the e-Tender document is acceptable. Submission of bid in the e-tender floor by any bidder confirms his acceptance of terms & conditions for the e-Tender.
10.	Any order resulting from this open e-tender shall be governed by the terms and conditions mentioned therein.
11.	No deviation to the technical terms & conditions are allowed.
12.	DICGC has the right to cancel this e-tender or extend the due date of receipt of bid(s) without assigning any reason thereof.
13.	The online e-Tender should be submitted strictly as per the terms and conditions and procedures laid down in the website www.mstcecommerce.com/eproc
14.	The bidders must upload all the documents required as per terms of RfP. Any other document uploaded which is not required as per the terms of the RfP shall not be considered.
15.	The bid will be evaluated based on the filled-in technical formats.
16.	The documents uploaded by bidder(s) will be scrutinized. In case any of the information furnished by the bidder is found to be false during scrutiny, EMD of defaulting bidder(s) will be forfeited. Punitive action including suspension and banning of business can also be taken against defaulting bidders

The above procedure is informed only for general guidance purpose and bidders are advised to check the latest instructions from www.mstcecommerce.com/eproc website itself.